

राजस्थान सरकार



राजस्थान विधान सभा
सचिव, राजस्थान विधान सभा
जयपुर
3/26

श्री भैरों सिंह शेखावत

मुख्य मंत्री, राजस्थान

का

भाषण

जो उन्होंने
राजस्थान विधान सभा में वर्ष 1994-95 के बजट अनुमान
प्रस्तुत करते समय दिया ।

जयपुर .
सोमवार, 7 मार्च, 1994

श्रीमन्,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 1993-94 के संशोधित अनुमान एवं 1994-95 के आय-व्ययक अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1. राज्य का बजट मात्र लेखांकन प्रक्रिया ही नहीं है, अपितु यह सरकार का जन सामान्य के साथ विकास संवाद भी है। इस अवसर पर हम अपनी समस्याओं, सामर्थ्य एवं अभाव अभियोगों तथा अवसरों का अध्ययन व आकलन कर सकते हैं। बजट केवल संसाधनों का वितरण ही नहीं है वरन् पूर्व से चालू नीतियों एवं कार्यक्रमों की विस्तृत एवं विश्लेषणात्मक समीक्षा भी है। बजट के माध्यम से मेरा उद्देश्य राज्य के निवासियों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति के लिये निश्चित दिशा के साथ एक समयबद्ध परिप्रेक्ष्य में सशक्त कदम उठाने के लिये कार्य योजना प्रस्तुत करना है। आज की तेजी से बदलती अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था तथा हमारे देश की संघीय व्यवस्था के बृहत् सन्दर्भ में कोई राज्य एक अलग-थलग द्वीप के रूप में नहीं जी सकता है। आज के इन सन्दर्भों में हमारी नीतियाँ, विश्व व देश के आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुये निर्धारित करनी पड़ेंगी। हमारी नीतियाँ औटार्किक (Autarkic) या स्वचालित स्वपोषित न होकर पारस्परिक सहयोग व निर्भरता के सिद्धान्तों से निर्धारित होंगी। विकास के इस संघर्ष में हमारे समक्ष मुख्य चुनौती है राज्य के भौतिक व मानव संसाधनों का पूरा उपयोग करना। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार व रोजगार के पर्याप्त अवसर जुटा कर प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि करना हमारा लक्ष्य होगा जिससे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके और हर एक व्यक्ति को गरिमामय जीवन-यापन का मौका मिल सके।
2. सदन इस तथ्य से भलीभाँति परिचित है कि सामाजिक एवं आर्थिक जीवन स्तर के अनेक मापदण्डों की कसौटी पर हमारा राज्य कई अन्य राज्यों एवं राष्ट्रीय औसत से पीछे है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भी सेवाओं की उपलब्धि तथा सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे के स्तर में काफी असमानताएँ हैं। आज भी हमारी अर्थ-व्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है जिसके कारण हमारे राज्य का सकल उत्पाद प्रकृति की अनिश्चितता पर निर्भर रहता है। अतः हमारा कर का आधार भी बहुत अनिश्चित, सीमित तथा कमजोर है जिससे हम अपनी आवश्यकतानुसार पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाते हैं। राज्य के सभी नागरिक न्यूनतम स्तर की सेवाएँ

तो प्राप्त करने के हकदार हैं ही परन्तु राज्य के बड़े भौगोलिक क्षेत्र एवं बिखरी हुई आबादी के परिणामस्वरूप मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने की लागत अपेक्षाकृत अधिक हो जाने के कारण हमारा कार्य कठिन हो जाता है।

3. विश्व आर्थिक व्यवस्था तथा केन्द्र सरकार की नई आर्थिक नीतियों के कारण हमारे दृष्टिकोण एवं प्राथमिकताओं में भी परिवर्तन आवश्यक हो गया है। सरकार के अपने संसाधन सीमित होने के कारण निजी क्षेत्र में विनियोजन आकर्षित करने के लिये राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई है। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप अब निजी क्षेत्र बेहतर आधारभूत सुविधाओं वाले प्रदेश में नियोजन करने हेतु स्वतंत्र है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि हम भी ऊर्जा, सड़क निर्माण, परिवहन व संचार आदि सुविधाओं में व्यापक सुधार करें। वर्तमान आर्थिक वातावरण में राज्य की भूमिका एक उत्प्रेरक की होनी चाहिये ताकि सीमित साधनों का विकास हेतु अधिकतम उपयोग हो सके एवं विकास की गति बढ़ सके। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आर्थिक विकास में आने वाली सभी संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर किया जाये ताकि निजी क्षेत्र का विनियोजन बढ़े और राज्य के मानव तथा प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। बदले हुए उदार आर्थिक वातावरण के द्वारा उत्पन्न अवसरों का हमें सदुपयोग करना है परन्तु इसके साथ साथ यह सुनिश्चित करना भी हमारा कर्तव्य है कि उदारीकृत बाजार की शक्तियों का हमारे समाज के कमजोर व पिछड़े हुए वर्गों तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मेरी मान्यता है कि किसी भी समाज की शक्ति का अन्तिम व निर्णायक आकलन उसके मानव संसाधनों की उत्पादक शक्तियों पर ही आधारित होता है। सरकार द्वारा निर्बल वर्गों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों आदि की कानूनी, सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये। उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु मैं इस बजट के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्रों के प्रावधानों में असाधारण वृद्धि कर रहा हूँ।

4. पिछला माह वित्त मंत्री के रूप में मेरे लिये निराशाजनक रहा। जहाँ हम सब केन्द्रीय बजट से राज्यों को अवतरित संसाधनों में बड़ी वृद्धि की आशा कर रहे थे वहीं बजट के कुछ सप्ताह पूर्व प्रशासनिक आदेशों से सामान्य जीवन में इस्तेमाल होने वाली तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं, जिन पर आर्थिक रूप से

कमजोर वर्ग विशेष रूप से आधारित है, की बड़ी मात्रा में केन्द्रीय सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि कर दी गई। इससे न केवल राज्य व राज्य उपक्रमों पर वरन् सामान्य जनता पर भी अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ा है। केन्द्रीय राजस्व करों के संग्रहण में कमी होने से राज्य सरकार के अपेक्षित हिस्से की राशि में भी कमी हुई है। बढ़ती हुई अपेक्षाएँ और कम होते साधनों से मेरे सामने कठिन स्थिति पैदा हो गई है।

5. जहां एक ओर सरकार निजी क्षेत्र द्वारा पूंजी निवेश को बढ़ावा देगी वहीं वह राजकीय उपक्रमों के प्रति एक सन्तुलित नीति क्रियान्वित करेगी। सदन को यह जानकारी प्रसन्नता होगी कि हमारे कई राजकीय उपक्रम अब लाभ अर्जित करने लगे हैं। मेरा यह प्रयास होगा कि ऐसे निगमों को अधिकाधिक क्रियात्मक स्वतन्त्रता दी जाये और इसी के साथ इनकी राज्य सरकार पर वित्तीय निर्भरता कम की जाये। अब राजकीय उपक्रमों को बजट से सीधी मिलने वाली सहायता में कमी की जायेगी तथा उन्हें अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिये अधिक स्वायत्तता दी जायेगी। इससे जहाँ राजकीय उपक्रमों में स्वालम्बन की भावना जागृत होगी, वहीं प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में उनकी उत्पादकता और पूंजी निवेश पर लाभ कमाने की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी सन्दर्भ में कतिपय निगमों व राज्य सरकार के बीच मेमोरेण्डम आफ अन्डरस्टैंडिंग की प्रथा शुरू की जायेगी जिससे दोनों के बीच पारस्परिक उत्तरदायित्व व अपेक्षाएँ निश्चित की जायेंगी। इससे राज्य सरकार के बजट पर उनका भार क्रमशः कम होता चला जायेगा और राज्य सरकार के संसाधन अन्य आवश्यक क्षेत्रों के विकास विनियोजन के लिए उपलब्ध हो सकेंगे।

आर्थिक समीक्षा

6. जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। सिंचाई की सुविधा मात्र 29 प्रतिशत कृषि जोत क्षेत्र तक ही उपलब्ध होने के कारण प्रदेश में कृषि वर्षा पर ही आधारित है। राजस्थान वर्षा की दृष्टि से सदैव अनिश्चय की स्थिति में रहता आया है। वर्ष 1993 भी इससे अछूता नहीं रहा। माह अगस्त में औसत से काफी कम वर्षा हुई और लगातार तीन सप्ताह तक वर्षा न होने के कारण कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

7. आर्थिक विकास का एक प्रमुख मापदण्ड शुद्ध घरेलू उत्पाद अथवा राज्य आय है। 1992-93 में स्थिर मूल्यों (1980-81) पर राज्य आय 8640 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 1991-92 की तुलना में 11.85 प्रतिशत अधिक थी। प्रतिव्यक्ति आय लगभग 1897 रुपये थी और इसमें 9.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 1992-93 में राज्य आय लगभग 22936 करोड़ रुपये थी एवं 1991-92 की तुलना में इसमें 16.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रचलित कीमतों पर प्रतिव्यक्ति आय वर्ष 1992-93 में 5035 रुपये थी, जो वर्ष 1991-92 की तुलना से 14.38 प्रतिशत अधिक थी।
8. त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 1980-81 की स्थिर कीमतों पर चालू वर्ष में राज्य आय लगभग 8041 करोड़ रुपये होने की संभावना है जो गत वर्ष की तुलना में 6.93 प्रतिशत कम होगी। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1993-94 में 1728 रुपये होकर गत वर्ष की तुलना में 8.91 प्रतिशत कम होने की संभावना है। प्रचलित कीमतों पर चालू वर्ष में राज्य आय एवं प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः 23302 करोड़ रुपये तथा 5009 रुपये रहने की संभावना है। गत वर्ष की तुलना में प्रचलित कीमतों पर राज्य आय में जहां 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं प्रति व्यक्ति आय में 0.02 प्रतिशत की कमी होना अनुमानित है।
9. फरवरी 1994 में केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित आवश्यक मूल्यों में भारी वृद्धि के कारण मूल्य सूचकांक तेजी से बढ़ रहा है। इससे अगले वर्ष राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

आठवीं पंचवर्षीय योजना

10. राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना 11500 करोड़ रुपये की है। आठवीं योजना के प्रथम वर्ष 1992-93 में 1400 करोड़ रुपये के प्रावधान के विरुद्ध 1406 करोड़ 67 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। चालू वर्ष में 1700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसकी तुलना में 1704.76 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। आगामी वर्ष में वार्षिक योजना का आकार 2450 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इस प्रकार प्रथम 3 वर्षों में आठवीं योजना के लिये निर्धारित कुल 11500 करोड़ रुपये के प्रावधान के अन्तर्गत लगभग 5561.43

करोड़ रुपये का व्यय होगा। मुझे इस बात का पूरा अहसास है कि अगले वर्ष की योजना के बड़े हुए आकार के वित्त पोषण के लिये हमें अत्यधिक प्रयास करने पड़ेंगे। वित्तीय प्रबन्धन में कौशल लाना पड़ेगा। आयोजना के वित्तीय संसाधनों में केन्द्रीय सहायता के अंश में केवल 28.6 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है अतः शेष राशि की पूर्ति राज्य के स्रोतों से ही करनी पड़ेगी।

वार्षिक योजना 1994-95:

11. राजस्थान की भौगोलिक व प्राकृतिक परिस्थितियाँ अन्य राज्यों की तुलना में काफी विकट हैं। वर्षा की अनिश्चितता, वित्तीय संसाधनों की कमी, राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति व्यक्ति योजना व्यय में कमी और केन्द्रीय विनियोजन में राज्य का नगण्य हिस्सा आदि राज्य के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण रहे हैं।
12. गत तीन चार वर्षों में राज्य ने वित्तीय प्रबन्धन पर विशेष ध्यान देने के साथ ही उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम दोहन तथा अनावश्यक व्यय में कटौती पर विशेष बल दिया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में वार्षिक योजना का आकार मात्र 795 करोड़ रुपये का था। वर्ष 1990-91 से इसमें निरन्तर वृद्धि करने से अगले वर्ष की वार्षिक योजना 2450 करोड़ रुपये की हो गई है। अगले वर्ष की योजना की यह राशि छठी पंचवर्षीय योजना की कुल अनुमोदित राशि 2025 करोड़ रुपये से भी अधिक है।
13. यद्यपि अगले वर्ष की योजना के आकार में 1993-94 की तुलना में 44 प्रतिशत की सकल वृद्धि हुई है, फिर भी ग्रामीण विकास की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए :
 - i) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये वर्ष 1994-95 हेतु प्रावधानों में चालू वर्ष की तुलना में 64.86 प्रतिशत,
 - ii) सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में 53.10 प्रतिशत,
 - iii) परिवहन में 74.78 प्रतिशत, तथा
 - iv) आर्थिक सेवाओं में 74.19 प्रतिशत

की वृद्धि प्रस्तावित है।

14. राज्य की जनसंख्या में वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा अधिक रही है। यह हम सभी के लिए चिन्ता का विषय है तथा इस संबंध में कारगर कार्यवाही अपेक्षित है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का स्तर कम होना, विशेषकर महिलाओं का अशिक्षित रहना, जनसंख्या में वृद्धि का एक मुख्य कारण है। सभी को शिक्षा सुलभ कराने के लिये शिक्षण सुविधाओं में वृद्धि हेतु वर्ष 1994-95 में विशेष प्रयास किये जायेंगे। इसी से सम्बन्धित सेवाओं एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये समुचित कार्यवाही की जायेगी। इस संदर्भ में मैंने प्राथमिक शिक्षा के लिए जहां 119 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं सुधार के लिये 57.45 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित करता हूँ।

15. राजस्थान में पर्यटन विकास की विपुल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत पर्यटन विकास के लिये अगले वर्ष में चालू वर्ष के प्रावधान से दुगुना प्रावधान किया गया है। पेयजल की समस्या के समाधान हेतु बजट में आशातीत वृद्धि की गई है। सिंचाई एवं विद्युत के क्षेत्रों में पहले से चालू परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने पर विशेष बल दिया गया है। इनके लिये धनराशि में गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 37 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि नई विद्युत परियोजनाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी अथवा संयुक्त क्षेत्र में लिया जाना प्रस्तावित है।

16. विकास को गति देने के लिए बाह्य सहायता का भी अधिकाधिक उपयोग करने के प्रयास किये जा रहे हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 1663 करोड़ रुपये की बाह्य सहायता प्राप्त करने का लक्ष्य है जबकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस स्रोतों से लगभग 99 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए थे। वर्ष 1993-94 में 150 करोड़ रुपये प्राप्त होने के अनुमान की तुलना में वर्ष 1994-95 में 270 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य है। बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिये अधिकाधिक परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में 11 परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक, जर्मनी, जापान, यूरोपीय समुदाय, कनाडा एवं स्वीडन से सहायता प्राप्त हो रही है। जलग्रहण क्षेत्र विकास, वानिकी, लूणी बेसिन विकास, स्वास्थ्य रक्षा, व्यावसायिक शिक्षा व रेगिस्तान के विस्तार रोकने सम्बन्धी परियोजनाओं को जर्मनी से सहायता प्राप्त करने के लिये भारत सरकार को भेजा गया है। इसी प्रकार विश्व बैंक से

सहायता प्राप्त करने के लिये अकाल प्रवन्धन एवं कृषि विपणन के विकास की परियोजनाएं भारत सरकार को भेजी गई हैं। अन्य तीन परियोजनाएं यथा सामाजिक वानिकी, सूरतगढ़ ताप बिजली घर एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना चरण द्वितीय, जापान से सहायता के लिए भेजी गई हैं।

शिक्षा

17. आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद राजस्थान में गत कुछ वर्षों में शिक्षा पर विनियोजन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। शिक्षा में 1975-76 में 23 रु. प्रति व्यक्ति व्यय होता था। उसे बढ़ाकर वर्तमान में करीब 214 रुपये कर दिया गया है जो 208 रुपये की राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। राज्य के राजस्व व्यय का 25% से अधिक हिस्सा शिक्षा पर व्यय किया जाता है जिसका लगभग 60% प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है।
18. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के निर्धारित लक्ष्यों तथा सन् 2000 तक “सब के लिए शिक्षा” एवं साक्षरता के संकल्प को मद्देनजर रखते हुए राज्य में शिक्षा के वर्तमान विनियोजन में अभूतपूर्व वृद्धि की जा रही है। इसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीनकरण की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आगामी वर्ष में बालिकाओं की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।
19. वर्ष 1994-95 में 2313 गांवों में प्राथमिक विद्यालय तथा शहरी क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों में 50 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। इससे सामान्य क्षेत्र में 250 तथा अनुसूचित जाति, जन जाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में 150 की आबादी वाले समस्त गांवों में प्राथमिक विद्यालय हो जायेंगे। ऐसे 3646 प्राथमिक विद्यालयों, जिनमें आज भी एक ही अध्यापक का पद है, में दूसरा अध्यापक उपलब्ध कराया जायेगा। इन प्रस्तावों के लिए 20 करोड़ 48 लाख रुपये का खर्च अनुमानित है।
20. ऐसी ग्राम पंचायतें, जिनमें उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं है के 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। राज्य के 90 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों एवं 138 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया

जायेगा। साथ ही उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 10 नए संकाय एवं 10 नए विषय प्रारम्भ किये जायेंगे। व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार के लिए 15 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व मैट्रिक व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ की जायेगी। इन प्रस्तावों पर 14 करोड़ 39 लाख 55 हजार रुपये का खर्च अनुमानित है।

21. प्राथमिक स्कूलों में नामांकन में वृद्धि एवं ठहराव में सुधार तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के बालक व बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण की महती योजना प्रारम्भ की जायेगी। इस योजना में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त बालिकाओं को तथा कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत समस्त बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों उपलब्ध कराई जायेंगी। इस पर 9 करोड़ 76 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।
22. वंचित वर्गों व बालिकाओं के लिए ढाणियों एवं कच्ची बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सरकार के सहयोग से 4,000 नवीन अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे। इस प्रस्ताव पर राज्य अंश के रूप में 1 करोड़ 22 लाख रुपये के व्यय का अनुमान है।
23. राज्य में महिला साक्षरता की स्थिति गम्भीर चिंता का विषय है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक व अन्य कारणों से बालिकाओं का नामांकन कम है और बड़ी संख्या में वे शिक्षा बीच में छोड़ देती हैं। राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने एक बालिका शिक्षा फाउन्डेशन बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये की राशि अपनी ओर से दी जाएगी। साथ ही धर्मार्थ संस्थाओं, उद्यमियों व अन्य दान-दाताओं से भी इसके लिए आवश्यक सहयोग लिया जायेगा। यह फाउन्डेशन विशेषकर महिला साक्षरता की दृष्टि से पिछड़े जिलों में बालिकाओं के अधिक संख्या में शालाओं में प्रवेश व ठहराव को प्रोत्साहित करने हेतु जहाँ आवश्यक हो विशेष सुविधाएँ उपलब्ध करवायेगा, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवारों की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु समर्थन देगा, साथ ही बालिकाओं की शालाओं में उपर्युक्त भवन व मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में वांछित सहयोग देगा।

24. बालिका शिक्षा एवं विकलांग शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 210 अनुदानित बालिका व विकलांग विद्यालयों की अनुदान राशि में वृद्धि कर 90 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। इस प्रकार की नई संस्थाओं को भी प्रथम वर्ष से ही अनुदान सूची पर लिया जायेगा। इस हेतु 1 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है।
25. ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु शिक्षा विभाग के संभागीय मुख्यालयों पर बालिका छात्रावास खोले जायेंगे। इस हेतु 2 करोड़ 10 लाख रुपये के व्यय का अनुमान है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन स्थानों पर छात्रावास निर्माण को प्राथमिकता दी जायेगी जहां पर स्वच्छ तथा समाजसेवी संस्थाएँ भवन निर्माण आदि योगदान देने की पहल करेंगी।
26. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान राज्य में वर्ष 1990 में प्रारम्भ किया गया था जिसके फलस्वरूप अजमेर जिले को उत्तर भारत का प्रथम साक्षर जिला तथा डूंगरपुर जिले को देश का प्रथम जनजाति साक्षर जिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। वर्तमान में इन दो जिलों में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम एवं पाँच अन्य जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान क्रियान्वित किया जा रहा है। अगले वर्ष 8 अन्य जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा। इस हेतु 3 करोड़ 78 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।
27. राज्य के दूरस्थ एवं दुर्गम स्थानों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वीडन की अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था सीडा के सहयोग से संचालित शिक्षाकर्मी परियोजना के अन्तर्गत वर्तमान में 23 जिलों की 55 पंचायत समितियों में दिन में चलने वाले 900 विद्यालय, 1050 प्रहर पाठशालाएँ तथा 40 ऑगन पाठशालाएँ संचालित हैं। इनमें लगभग 1 लाख से अधिक बालक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।
28. प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीनकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लोक जागरण एवं सहभागिता द्वारा सीडा के सहयोग से लोक जुम्बिश परियोजना राज्य में जून 1992 से क्रियान्वित की जा रही है। यह परियोजना इस समय राज्य के 25 विकास खण्डों में चल रही है। अगले वर्ष 30 अन्य विकास खण्डों में यह योजना लागू की जायेगी।

29. जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 1000 प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण एवं विस्तार के लिए शिक्षा विभाग के अंशदान के रूप में 4 करोड़ 25 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।
30. राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीनकरण एवं साक्षरता की समीक्षा एवम् परामर्श हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा।

महाविद्यालय शिक्षा

31. महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु वर्ष 1994-95 में विशेष प्रयास किये जायेंगे। 2 महिला महाविद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा, जिससे राज्य के सभी महिला महाविद्यालय स्नातकोत्तर स्तर के हो जाएंगे। महिला शिक्षा के उत्थान एवं विकास के लिए 4 महाविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें एक महाविद्यालय आदिवासी क्षेत्र में होगा। राज्य के अनुदानित महिला महाविद्यालयों का अनुदान वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के अन्य नये गैर अनुदानित महिला महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ होगी। इन पर अनुमानतः 2 करोड़ 6 लाख रुपये का व्यय होगा।
32. राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के विकास एवं शोध कार्य को प्रोत्साहित करने के लिये संस्कृत संस्थान की स्थापना की जायेगी, जो राजस्थान का प्रथम संस्कृत शिक्षा प्रसार व शोध संस्थान होगा। यह संस्थान समस्त महाविद्यालयों के संस्कृत विभागों को सुदृढ़ करने में मार्गदर्शक सिद्ध होगा। इस पर अनुमानतः 1 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
33. महाविद्यालयी शिक्षा में 10 नये विषय आरम्भ किये जाएंगे जिनमें रोजगारोन्मुखी विषयों को प्राथमिकता दी जायेगी। आदिवासी क्षेत्र के दो महाविद्यालयों में ये विषय प्रारम्भ होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति के समस्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने हेतु पुस्तक बैंक की स्थापना की जाएगी। महाविद्यालयों में

साज-सामान एवं आवश्यक सुविधाओं के विस्तार हेतु 97 लाख रुपये एवं प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण हेतु 35 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।

34. अजमेर विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग, जनसंख्या एवं पर्यावरण विभाग तथा कम्प्यूटर विभाग की स्थापना की जाएगी। उदयपुर विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर पाठ्यक्रम, विज्ञापन एवं डिजाइन पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत राजस्थान में उच्च शिक्षा के उचित आयोजन, नियमन एवं समन्वय हेतु एक उच्च स्तरीय “राज्य उच्च शिक्षा परिषद्” का गठन किया जाएगा।

तकनीकी शिक्षा

35. राज्य में तकनीकी शिक्षा विस्तार हेतु वर्ष 1993-94 में 11 करोड़ 65 लाख रुपये के प्रावधान के विरुद्ध वर्ष 1994-95 में पोलिटेकनिक शिक्षा हेतु 22 करोड़ 97 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि इस वर्ष की तुलना में लगभग दुगुना है।
36. 1994-95 में गंगानगर में एक पोलिटेकनिक की स्थापना की जाएगी। पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में 3 नये डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं 15 संस्थानों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला आरम्भ की जायेगी। राज्य के सह-शिक्षा पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में मल्टीपाइन्ट एन्ट्री एण्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया जाएगा।
37. तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को वर्ष 1994-95 में 5 करोड़ 84 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
38. दस्तकार प्रशिक्षण हेतु वार्षिक योजना 6 करोड़ 50 लाख रुपये की होगी। इस वर्ष 6 नये व्यवसायों का प्रशिक्षण आरम्भ किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 2 करोड़ 65 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

विद्युत

39. राज्य की प्रगति का विद्युत उपलब्धता से घनिष्ठ सम्बन्ध है। यद्यपि राज्य में अब तक लगभग 80% गाँवों का विद्युतीकरण हो चुका है फिर भी प्रतिव्यक्ति

ऊर्जा की खपत 227 यूनिट है जो पड़ोसी राज्यों के मुकाबले तथा अखिल भारतीय औसत से काफी कम है। अतः राज्य के कल-कारखानों, कृषि व पेयजल योजनाओं और लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिये अब यह नितांत आवश्यक हो गया है कि राज्य में मांग के अनुरूप बिजली की आपूर्ति करने हेतु तत्काल हर सम्भव प्रयत्न किये जायें।

40. भारत सरकार के 14वें वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार आगामी वर्षों में राजस्थान में विद्युत की मांग और उपलब्धि में काफी अन्तर आंका गया है। यद्यपि इस वित्तीय वर्ष में भाखड़ा, व्यास तथा चम्बल जलाशयों में जलस्तर पिछले वर्ष के मुकाबले काफी कम रहा फिर भी जनवरी, 1994 के अन्त तक पिछली समयावधि से लगभग 7% अधिक विद्युत उपलब्ध कराई गई है। कोटा तापीय विद्युत परियोजना की इकाइयों से गतवर्ष की तुलना में अधिक बिजली उत्पादन, पंजाब से अधिक बिजली क्रय तथा केन्द्रीय विद्युत उत्पादक निगमों से अधिक विद्युत क्रय करके विद्युत की आपूर्ति बढ़ाना सम्भव हो सका है। इस वर्ष फरवरी माह तक लगभग 6 हजार 700 मिलियन यूनिट बिजली 646 करोड़ रुपये खर्च करके क्रय की गई। आने वाले महीनों में भी इसी तरह की व्यवस्था करनी होगी और इसके फलस्वरूप पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 180 करोड़ रुपये की अधिक विद्युत क्रय की जायेगी। जहाँ एक ओर विद्युत आपूर्ति में सुधार आया है वहीं दूसरी ओर महंगी दरों पर खरीदी गई इस बिजली के कारण विद्युत मण्डल का घाटा बढ़ा है।

41. मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कोटा तापीय विद्युत संयंत्र को देश में श्रेष्ठ विद्युत उत्पादन करने के लिये 1984, 1987, 1989, 1991 तथा 1992 में भारत सरकार द्वारा उत्पादकता पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 1993-94 के लिए भी पुरस्कार प्रस्ताव विचाराधीन हैं। चालू वर्ष में इस विद्युत संयंत्र का "लोड फैक्टर" गत वर्ष की तुलना में 2.9% बढ़कर 80% हो जाने की आशा है जो देश में एक कीर्तिमान होगा।

42. विद्युत उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कोटा तापीय विद्युत संयंत्र की 210 मेगावाट की पांचवीं इकाई को चालू करने के लिये युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। उक्त इकाई से विद्युत उत्पादन इस माह में ही प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है।

43. ऊर्जा के उपलब्ध स्रोतों के अधिकतम दोहन हेतु राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों में इन्दिरा गांधी नहर की चारणवाला शाखा पर 1.2 मेगावाट क्षमता की विद्युत इकाई का दिसम्बर 1993 में चालू हो जाना एक उपलब्धि है। इसी प्रकार रामगढ़ जिला जैसलमेर में उपलब्ध प्राकृतिक गैस पर आधारित 3 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयन्त्र का निर्माण कार्य भी इसी माह में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।
44. रामगढ़ के तनोट क्षेत्र के कुओं में पाई गई गैस से विद्युत उत्पादन हेतु प्रथम चरण में 35.5 मेगावाट क्षमता की एक गैस टरबाइन की स्थापना का कार्य, जो मई 1993 में हाथ में लिया गया था, युद्धस्तर पर किया जा रहा है तथा इस इकाई को माह अगस्त 1994 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। इस इकाई से विद्युत उत्पादन होने पर बाड़मेर व जैसलमेर जिलों की विद्युत आपूर्ति में स्थायी रूप से सुधार होगा तथा वहां की पेयजल योजनाओं के लिये भी यथेष्ट रूप से विद्युत प्राप्त होगी। यद्यपि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने रामगढ़ में गैस पर आधारित 160 मेगावाट क्षमता की विद्युत उत्पादन परियोजना भारत सरकार को प्रस्तावित की थी जिसके अन्तर्गत पूर्ण क्षमता की स्वीकृति का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकार इसकी अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है ताकि बाड़मेर, जैसलमेर व जोधपुर जिलों के क्षेत्रों को बिजली सन्तोषजनक रूप से उपलब्ध कराई जा सके।
45. इसी प्रकार सूरतगढ़ में कोयले पर आधारित 250 मेगावाट की प्रथम इकाई का कार्य भी प्रगति पर है। इस इकाई से जून 1996 में उत्पादन प्रस्तावित है। 250 मेगावाट की दूसरी इकाई के लिये सरकार, भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने का भरसक प्रयास कर रही है। हाल ही में ओ.ई.सी.एफ., जापान के एक मिशन से इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा हुई है।
46. राज्य को विद्युत संकट से उबारने के लिये सरकार द्वारा किये जा रहे विशेष प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा राज्य को मूल आवंटन के अतिरिक्त अन्ता विद्युत गृह की एक इकाई के विद्युत उत्पादन को पूर्णतया आवंटित कर दिया गया है। इसी क्रम में गत माह नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के विभिन्न विद्युत संयन्त्रों से 250 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत का भी आवंटन कराया गया है। यदि भाखड़ा,

व्यास, चम्बल के जलस्तर में पूर्ण पानी आया तो अगले वर्ष में विद्युत की स्थिति पिछले वर्षों से काफी बेहतर रहने की आशा है।

47. आगामी वर्ष में राज्य में 220 के.वी. की 259 कि.मी. लाइन डाली जायेगी तथा राज्य में 220 के.वी. के तीन सब-स्टेशन बनाये जायेंगे। साथ ही 132 के.वी. की 479 कि.मी. लंबी लाइनें व 132 के.वी. के दस नये सबस्टेशन, 33 के.वी. की 750 कि.मी. लाइनें व 200 एम.वी.ए. के विभिन्न सबस्टेशनों का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसके फलस्वरूप विद्युत सप्लाई में स्थायित्व आयेगा एवं विद्युत की आपूर्ति में भी सुधार होगा।
48. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के समस्त कार्यों के लिये आगामी वर्ष की योजना में 635.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि चालू वर्ष से 155.12 करोड़ रुपये अधिक है। गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों पर आधारित राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण के कार्यों हेतु भी वार्षिक योजना में वृद्धि करते हुए अगले वर्ष के लिये 3.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
49. विश्व बैंक ने राज्य में विद्युत क्षेत्र के विस्तार एवं पुनर्गठन की योजना तैयार करने के लिये इसी माह लगभग 6 करोड़ रुपये की स्वीकृति भारत सरकार के माध्यम से दी है। इससे राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के सुदृढ़ीकरण एवं स्वायत्तता, संयुक्त क्षेत्र के योगदान एवं निजी क्षेत्र के योगदान पर अध्ययन किया जायेगा। संसाधनों एवं कार्यकुशलता में वृद्धि के उद्देश्य से राज्य सरकार विद्युत वितरण, परीक्षण के तौर पर, निजी क्षेत्र को देने के लिये विचार कर रही है।
50. भारत सरकार के न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन द्वारा कोटा में राजस्थान अणु विद्युत परियोजना की तीसरी तथा चौथी 235 मेगावाट की इकाइयां निर्माणाधीन हैं जिनके 1997 तक पूर्ण होने की संभावना है। ये योजनाएं केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं। सामान्यतया इनसे राजस्थान को लगभग 20 प्रतिशत विद्युत ही आवंटित होगी। चूंकि राजस्थान में विद्युत की भारी कमी है तथा विद्युत उत्पादन के संसाधन भी नगण्य हैं और राजस्थान अणु विद्युत केन्द्र की प्रथम इकाई भी ब्रह्म है, इसलिये राज्य सरकार चाहती है कि केन्द्र सरकार इस कार्य को सन्मय पर पूरा कराये एवं प्रथम व द्वितीय इकाई की तरह तृतीय एवं चतुर्थ इकाई भी राजस्थान को ही पूर्णरूपेण आवंटित कर दी जाय। इसके लिये भारत सरकार से अनुरोध किया जा रहा है।

51. राज्य सरकार ने उदयपुर जिले की कोटड़ा पंचायत समिति के लिये 100 किलोवाट की सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक पावर यूनिट परियोजना भारत सरकार को शत-प्रतिशत वित्तीय अनुदान हेतु प्रस्तुत की है। अब तक राज्य में 78 किलोवाट के सोलर पावर पैक्स दूरस्थ ग्रामों में कार्य कर रहे हैं। आगामी वर्ष में 50 किलोवाट के सोलर पावर पैक्स लगाने की योजना है।
52. अगले वर्ष में 750 नये ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना है। साथ ही 25 हजार कुओं पर नए कनेक्शन देने प्रस्तावित हैं।

कृषि

53. फसल उत्पादन हेतु इस वर्ष राज्य आयोजना मद में 17.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसे इस वर्ष बढ़ा कर 23 करोड़ 14 लाख किया गया है। इसी प्रकार केन्द्र-प्रवर्तित योजनाओं में इस वर्ष 1 करोड़ 57 लाख रुपये का प्रावधान था जबकि अगले वर्ष इसके लिये 42 करोड़ 44 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है, जिसमें 25 करोड़ रुपये उर्वरक अनुदान शामिल है।
54. कृषि विकास परियोजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में 87 करोड़ 26 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें मुख्य रूप से क्षारीय एवं लवणीय भूमि के सुधार, जल के समुचित उपयोग, चारा विकास कार्यक्रम, उन्नत बीजों आदि की तकनीक के बारे में प्रचार-प्रसार, श्रव्य-दृश्य साधनों का उपयोग, कम्प्यूटर उपयोग, ग्रामीण सड़कों, फल विकास, भूजल विभाग, पशुपालन, महिला किसान प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के सुदृढीकरण आदि कार्यों पर विशेष जोर दिया जायेगा।
55. जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य की बारानी भूमि में जल ग्रहण क्षेत्र का चयन करके विभिन्न कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। समन्वित जलग्रहण विकास परियोजना के अन्तर्गत अगले वर्ष के लिये 12 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय जलग्रहण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आगामी वर्ष में 25 करोड़ रुपये की तुलना में अगले वर्ष 35 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

पशुपालन एवं भेड़ व ऊन

56. राज्य में राठी, गिर, थारपरकर, कांकरेज तथा नागौरी देशी गो नस्ल विकास के लिए 5 परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। जैसलमेर में थारपरकर नस्ल की गायों के विकास हेतु गौ संरक्षण संस्थाओं के माध्यम से 2 करोड़ रुपये की एक योजना पर भी विचार किया जा रहा है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमावर्ती जिलों में प्रथम बार हिमीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है ताकि देशी नस्ल के पशुओं में गुणात्मक सुधार किया जा सके।
57. महिला डेयरी विकास योजना, राज्य के 9 जिलों क्रमशः जयपुर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर एवं सीकर में चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 1993 तक 462 महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन कर, एक लाख 95 हजार ग्रामीण महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। राजस्थान महिला डेयरी विकास कार्यक्रम की कुल लागत 10 करोड़ है जिसमें से 6 करोड़ 38 लाख रुपये भारत सरकार से अब तक प्राप्त हो चुके हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने योजना की अवधि 3 वर्ष और बढ़ाने एवं इसे चूरु एवं उदयपुर जिलों में भी लागू करना स्वीकार कर लिया है।

सहकारिता

58. सहकारी क्षेत्र को निरन्तर सुदृढ़, सक्रिय और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के प्रयासों के फलस्वरूप विभिन्न संस्थाओं के कार्य में सुधार हुआ है। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, जो कृषि जिनसों और आदानों के विपणन हेतु एक शीर्ष संस्था है, ने गत तीन वर्षों में निरन्तर लाभ अर्जित किया है। स्पिन फैडरेशन भी इस वर्ष लगभग 6 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित करने की आशा रखता है।
59. राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंको की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु नाबार्ड के सक्रिय सहयोग से एक महत्वाकांक्षी योजना बनायी जा रही है। राज्य के सहकारी क्षेत्र को लाभकारी एवं स्वावलम्बी बनाने के लिए व्यय में कमी एवं अपरंपरागत

व्यवसाय हेतु वित्त सुलभ कराने के लिए सहकारी नवीनीकरण कोष एवं सहकारी सुदृढीकरण कोष की स्थापना की गई है।

60. सहकारी समितियों में सदस्यों को सक्रिय करने की दृष्टि से भविष्य में समिति की पूंजी में राजकीय अंशदान देने से पूर्व अन्य सभी सदस्यों की ओर से अंश पूंजी में कम से कम दस प्रतिशत विनियोग अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण

61. सिंचाई क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न चालू परियोजनाओं के आधुनिकीकरण का कार्य चरणबद्ध रूप से हाथ में लिया गया है। आगामी वर्ष में इस कार्य के अन्तर्गत मेजा, गम्भीरी, जयसमन्द (अलवर) व गंगनहर लिंक चैनल की कच्ची नहरों को पक्का करने के कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं। अगले वर्ष बाढ़ नियंत्रण कार्य हेतु 5 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

62. सिद्धमुख एवं नोहर क्षेत्र में सिंचाई की एक बृहद् परियोजना की क्रियान्विति के लिये यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ आर्थिक सहायता समझौता हुआ है। अगले वर्ष दो नई मध्यम सिंचाई परियोजनायें, क्रमशः चौली (झालावाड़) एवं बैथली (बारां) में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। नर्मदा नदी पर गुजरात में बन रहे सरदार सरोवर बांध से निकली नर्मदा नहर से वर्ष 1997 के अन्त तक राजस्थान की सीमा पर पानी पहुंचने की संभावना को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान के हिस्से में नहरें इत्यादि बनाने का कार्य हाथ में ले लिया है ताकि नर्मदा से राजस्थान के हिस्से के पानी का समुचित उपयोग किया जा सके। राज्य में जर्मन सहायता से लघु सिंचाई परियोजनाओं के प्रथम चरण के कार्य प्रगति पर हैं। इनके दिसम्बर, 1995 तक पूरा होने की संभावना है। राज्य सरकार ने लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत की लघु सिंचाई परियोजनाओं के द्वितीय चरण की प्रोजेक्ट रिपोर्ट जर्मन सहायता हेतु भेजी है।

सिंचित क्षेत्र विकास

63. इन्दिरा गांधी नहर सिंचित विकास परियोजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष में स्टेज-प्रथम एवं द्वितीय के क्षेत्र में 30,000 हैक्टेयर में पक्के खालों का निर्माण, 133 कि.मी. सड़कों का निर्माण और 20 नई डिग्गियों का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। सेम व खार की समस्या के उचित उपायों के लिए क्षेत्रीय विकास आयुक्त कार्यालय में एक जल निकास इकाई की स्थापना की जा रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए मैं 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।
64. चम्बल परियोजना में अगले वर्ष के दौरान 6000 हैक्टेयर में भूमि विकास कार्य करवाये जायेंगे। कनेडियन इन्टरनेशनल डवलपमेंट ऐजेन्सी की सहायता से प्रारम्भ की गई जल निकास परियोजना के अन्तर्गत अब तक 1400 हैक्टेयर में भूमिगत नालियों का कार्य किया गया है जिसके आधार पर विकसित डिज़ाइन की जाँच एक अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के पेनल से करायी गयी है। 10000 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत नाली निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जावेगा। एक एकीकृत जलप्रबन्ध, जलनिकास क्षेत्र तैयार कराये जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इस राशि का पुनर्भरण उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत किया जाएगा।
65. माही परियोजना क्षेत्र में एक हजार हैक्टेयर में खाले बनाने का कार्य प्रस्तावित है।
66. खुशहाली कर बृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र में रहने वाले लाभान्वितों से वसूल किया जाता रहा है। इस समय 9 करोड़ रुपये की राशि किसानों से बकाया है। कई वर्षों से इस कर की वसूली समाप्त करने के लिये किसान मांग करते रहे हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि खुशहाली कर की 9 करोड़ रुपये की वसूली किसानों से नहीं की जाएगी। ये बकाया अपलेखित कर दी जायेंगी।
67. राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में बनी कवर सेन लिफ्ट नहर के तहत 11.72 करोड़ रुपयों की लागत से 1 लाख 14 हजार एकड़ क्षेत्र में बनाये गये खालों पर वसूली हेतु औसतन व्यय भार लगभग 1030/-

रुपये प्रति एकड़ बनता है। खालों के निर्माण की लागत किसानों से वसूलने का यह मामला वर्ष 1976 से लंबित चला आ रहा है और क्षेत्र के किसान खालों की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन करने पर जोर देते रहे हैं। इस स्थिति में लम्बे समय से चली आ रही किसानों की मांग और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कंवर सेन लिफ्ट नहर के तहत बनाये गये सिंचाई खालों की लागत किसानों से वसूल नहीं की जाए।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

68. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य की ही नहीं बल्कि हमारे देश की महत्वपूर्ण परियोजना है। अगले वर्ष इस परियोजना के लिये राज्य योजना भद में 93 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है जो कि चालू वर्ष के प्रावधान से 16.25 प्रतिशत अधिक है। अगले वर्ष भारत सरकार से इस हेतु अलग से 52 करोड़ की सहायता प्राप्त होगी।

69. वर्ष 1990-91 से प्रतिवर्ष लगभग 45 हजार हैक्टेयर नये क्षेत्र में सिंचाई के लिये नहरों का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 1994-95 में 56 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिये नहरों के निर्माण का कार्यक्रम है जिसको मिलाकर वर्ष के अन्त तक 9 लाख 60 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में नहर प्रणाली बनकर तैयार हो जाएगी।

ग्रामीण विकास

70. भरे भाषण के विभिन्न भागों में ग्रामीण विकास हेतु उठाये जाने वाले कदमों व प्रावधानों का वर्णन किया गया है। सामुदायिक व ग्रामीण विकास में कई कार्यक्रमों को अतिशीघ्र, 1994-95 में विशिष्ट योजना संगठन द्वारा क्रियान्वित की जा रही ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए राज्य व केन्द्र योजना मद से 307 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि, सूखा संभावित एवं पिछड़े क्षेत्रों के 122 विकास खण्डों में निर्धनतम ग्रामीण परिवारों के लिए आवश्यकतानुसार वर्ष में 100 दिन के आश्वासित रोजगार का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, जिससे प्रति परिवार कम से कम 2 व्यक्तियों को आश्वासित रोजगार (Assured Employment) तो उपलब्ध होगा ही, साथ ही ग्रामीण

क्षेत्र में जन उपयोगी स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन भी हो सकेगा। इस कार्यक्रम में आगामी वर्ष में केन्द्र व राज्य मद से 125 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है।

71. जवाहर रोजगार योजना व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत ऐसी सभी चालू प्राथमिक शालाएँ जिनके भवन नहीं हैं, के भवन बनवाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के सभी भवन रहित उच्च प्राथमिक विद्यालयों, स्वास्थ्य उपकेन्द्रों एवं आयुर्वेद औषधालयों के भवन बनाने का संकल्प किया गया है। इस दृष्टि से वर्ष 1994-95 में 2000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के व 1000 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों व आयुर्वेद औषधालयों के भवन बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
72. अब तक इन्दिरा आवास एवं जीवन धारा योजनाओं में केवल गरीबी रेखा के नीचे के अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को सहायता उपलब्ध होती थी। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अब यह सुविधा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य परिवारों को भी उपलब्ध होगी।
73. आगामी वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम 1 लाख 8 हजार परिवारों को आर्थिक सम्बल देने का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही इस कार्यक्रम में अधिकाधिक गुणवत्ता लाने की दृष्टि से प्रति परिवार विनियोजन बढ़ाने, पश्चातवर्ती देख-रेख व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं इन परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु अन्य सभी विकास कार्यक्रमों का लाभ दिलाये जाने के प्रयास भी प्राथमिकता के आधार पर किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले युवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को और अधिक परिष्कृत करने की दृष्टि से 1994-95 में 10 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चालू करने का लक्ष्य भी रखा गया है।
74. ग्रामीण क्षेत्रों के युवावर्ग में बेरोजगारी की समस्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है जिसके निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष से ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों हेतु स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण की एक नई योजना लागू की जा रही है। इस योजना में लघु एवं सीमान्त कृषकों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आयकर नहीं देने वाले परिवारों के 18 से 35 वर्ष तक के युवाओं व युवतियों को ट्राईसम योजना के अनुरूप ही राज्य मद से सहायता व प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी

ताकि वे स्वरोजगार चला सकें। इस हेतु 2.37 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

75. केन्द्र सरकार की सहायता से इस वर्ष सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए 4 जिलों के 13 विकास खण्डों में विभिन्न विकास कार्यक्रम हाथ में लिये जायेंगे ताकि विकास हेतु मूलभूत ढांचे का त्वरित गति से निर्माण हो। इस वर्ष इस कार्यक्रम हेतु आगामी वर्ष 1994-95 में लगभग 30 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होने की सम्भावना है।

76. मरुस्थल के प्रसार को रोकने व सूखे की समस्या से निपटने हेतु आगामी वर्ष में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम में 10 करोड़ रुपये एवं मरुस्थल विकास कार्यक्रम में 76 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके साथ साथ बाह्य संस्थाओं से भी वित्तीय सहायता आकर्षित करने के लिए एक बृहत् परियोजना तैयार की जा रही है, जिसमें इजराइल से तकनीकी सहयोग लिये जाने हेतु प्रयास प्रमुख हैं। लूनी जलग्रहण क्षेत्र के विकास हेतु भी अलग से एक योजना तैयार की जा रही है। सामुदायिक जलोत्थान योजनाओं के लिए राज्य योजना में एक करोड़ रुपये के प्रस्तावित प्रावधानों के अतिरिक्त कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत 7.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

77. गांवों में चरणबद्ध रूप से आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं स्वावलम्बन की दृष्टि से एक नया कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड से दो-दो ग्रामों का चयन कर उन्हें विकास केन्द्र के रूप में विकसित किया जावेगा। इस कार्य हेतु वर्ष 1994-95 में 3.70 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

78. ग्रामीण क्षेत्रों में हाट बाजार की प्रथा पूर्व में प्रचलित थी जिसमें एक ही स्थान पर दैनिक आवश्यकता की सभी चीजें उपलब्ध हो जाती थीं। साथ ही ग्रामीण दस्तकारों के उत्पादनों की बिक्री का भी यह प्रमुख माध्यम था। अतः उक्त परिपाटी को पुनः चालू करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने "ग्रामीण हाट बाजार योजना" चालू करने का निश्चय किया है। इस योजना में प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम 2 चुने हुए स्थानों पर नियमित रूप से हाट बाजार लगाये जायेंगे एवं प्रत्येक हाट बाजार हेतु स्थान आदि उपलब्ध कराने के लिए इस योजना में पंचायतों को निर्धारित

राशि व सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ष 1994-95 में राज्य में इस प्रकार के 500 हाट बाजार विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 2.5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

79. राज्य सरकार प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े व निर्धनतम क्षेत्रों में सरकार तथा स्वयं-सेवी संस्थाओं के सामूहिक प्रयास से समग्र ग्रामीण विकास करने का विचार रखती है। इस हेतु बारां जिले के सहरिया जनजाति बाहुल्य क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के सबसे पिछड़े हिस्से में समग्र ग्रामीण विकास हेतु नवोन्मुखी परियोजना लागू की जायेगी। इनमें कल्याण के अन्य कार्यों के साथ-साथ लघु सिंचाई, जल ग्रहण क्षेत्र विकास व पशुपालन आदि विभिन्न विकास कार्यक्रमों को भी महत्व दिया जायेगा। इन योजनाओं हेतु भारत सरकार से सहायता व स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने हेतु भी प्रयत्न किया जायेगा। राज्य मद से इस हेतु आगामी वर्ष में 1 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

राजस्व

80. वर्षों पूर्व अकाल राहत के अन्तर्गत किसानों को दी गयी सहायता के रूप में वितरित तकावी ऋण की 1 करोड़ 83 लाख की वसूली बकाया है। अधिकतर तकावी ऋण गरीब किसानों ने ही लिये हैं। इस ऋण की माफ करने की मांग पिछले वर्षों निरन्तर इस सदन में उठती रही है। माननीय सदस्यों की भावना का सम्मान करते हुए सरकार ने बकाया तकावी ऋणों को माफ करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से 1 लाख 87 हजार किसानों को लाभ होगा।
81. पिछले 15 वर्षों में सरकार ने राज्य में धौलपुर, बारां, राजसमन्द, दौसा व हनुमानगढ़ को नये जिले बनाने पर विचार किया था। इनमें से धौलपुर, बारां, राजसमन्द व दौसा जिले बनाये जा चुके हैं। हनुमानगढ़ को जिला बनाने के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया था। अब सरकार ने हनुमानगढ़ को अगले वर्ष नया जिला बनाने का निर्णय लिया है।
82. विकेंद्रित प्रशासन हेतु यह आवश्यक हो गया है कि राज्य के वर्तमान राजस्व प्रशासनिक ढांचे पर नये सिरे से विचार किया जावे। इसके लिए सरकार एक आयोग के गठन पर विचार करेगी।

83. माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि वर्ष 1991-92 का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने बाराही भूमि का लगान समाप्त किये जाने की घोषणा की थी। किसानों के हितकारी इस निर्णय को सर्वत्र सराहा गया था। सरकार ने अब समस्त छोटे व सीमान्त किसानों का, कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्र का लगान भी समाप्त करने का निर्णय लिया है।

उपनिवेशन

84. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में उपनिवेशन क्षेत्र में आवंटियों को कई प्रकार की रियायतें दी जायेंगी। विशेष आवंटन की पूरी कीमत एक मुश्त जमा कराने पर आवंटियों को 15 प्रतिशत की छूट दी जायेंगी। इसके अतिरिक्त जिन आवंटियों का राशि की अदायगी न करने पर आवंटन निरस्त हो गया है, वह भूमि उन्हीं आवंटियों को ब्याज के साथ पूरी कीमत जमा कराने पर पुनः आवंटित की जा सकेगी। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर आधा कि.मी. की पट्टी के पश्चात डेढ़ किलोमीटर की पट्टी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित की जावेगी।

वन

85. वानिकी कार्य हेतु चालू वर्ष के 45 करोड़ रुपये के योजना प्रावधान में वृद्धि कर आगामी वर्ष में 54 करोड़ रुपये किया गया है। वन विभाग रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिये कार्यरत है।
86. राज्य के 10 जिलों अलवर, जयपुर, सीकर, झुन्झुनू, नागौर, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा एवं सिरोंही में जापान सरकार के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही अरावली वृक्षारोपण परियोजना के अन्तर्गत अगले वर्ष में 39 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किये जाकर 24400 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा। राज्य के इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जापान सरकार के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही वृक्षारोपण परियोजना के अन्तर्गत 6725 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास कार्य करवाये जावेंगे। वन सुरक्षा व विकास हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं, स्कूलों, पंचायतों व कर्मचारियों को पुरस्कार हेतु दो लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

87. राज्य में आधुनिक चिड़ियाघर बनाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष में जयपुर के समीप नाहरगढ़ वन क्षेत्र में बायोलोजिकल पार्क बनाने का कार्य हाथ में लिया जावेगा। इस कार्य हेतु 25 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। राज्य में इस प्रकार का यह पहला प्रयास है जो कि जयपुर शहर के आकर्षणों में से एक होगा।

अकाल राहत

88. इस वर्ष अगस्त, 93 के प्रथम सप्ताह में हुई वर्षा के बाद काफी लम्बे अन्तराल तक वर्षा नहीं होने के फलस्वरूप राज्य के 25 जिलों में अभाव की स्थिति बन गई और 22586 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। इन क्षेत्रों में 1 फरवरी से राहत कार्य प्रारम्भ कराये गये हैं। अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये चारा उपलब्ध करवाने तथा पशुधन की रक्षा हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करदी गई है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि राहत के माध्यम से राज्य में स्थाई सम्पदाओं का निर्माण हो। राज्य के पूर्व के वर्षों के अकाल राहत में प्रारम्भ किये गये 12305 अधूरे कार्य विभिन्न जिलों में थे। इस वर्ष पुराने अधूरे कार्यों को पूरा कराने के लिये सर्वाधिक प्राथमिकता देने के निर्देश दिये गये हैं। राज्य में अकाल की व्यापक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्यक्रम पर अगले चार माह में समुचित व्यय करने का निर्णय लिया है।

पेयजल

89. राज्य सरकार पेयजल की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। वर्ष 1994-95 की अवधि में 1450 ग्रामों को पेयजल से लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें वे 940 ग्राम भी सम्मिलित हैं जो आंशिक रूप से लाभान्वित हैं। इसके अतिरिक्त 1000 अनुसूचित जाति जनजाति की बस्तियों एवं 500 ढाणियों व मजरो में भी पेयजल सुविधा का विस्तार प्रस्तावित है।
90. चूरु व गंगानगर जिलों के 325 गांवों के लिए 253 करोड़ रुपये की पेयजल योजना बनाकर जर्मन आर्थिक सहयोग हेतु भेजी गई है। अजमेर, ब्यावर एवं किशनगढ़ के गंभीर जल संकट के संदर्भ में बीसलपुर योजना को युद्धस्तर पर हाथ में लिया गया है तथा अगले वित्तीय वर्ष में इन नगरों को इस योजना से अतिरिक्त पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा। जोधपुर में कुछ नये ट्यूबवेल भी

खुदवाये जाकर अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही जवाई बांध से मिलने वाले पानी में बढ़ोतरी के लिए जवाई नहर को सुदृढ़ किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े व्यापक पैमाने पर हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे। हैण्ड पम्पों की मरम्मत की समुचित व्यवस्था हेतु वर्तमान में देय प्रति हैण्डपम्प अनुदान राशी बढ़ाया जाना विचाराधीन है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

91. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित लक्ष्य “सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य” को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है। इस क्षेत्र के लिये अगले वर्ष की आयोजना मद की राशि में गत वर्ष की तुलना में 48 प्रतिशत वृद्धि की गई है।
92. वर्ष 1994-95 में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिये 40 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 4 नगरीय डिस्पेन्सरी खोलने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त सभी ग्रामीण डिस्पेन्सरियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने, सभी चिकित्सालयों पर समान रूप से रोगी शैयाओं की न्यूनतम संख्या 30 करने व उप खण्ड स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर यह संख्या 50 करने का कार्यक्रम रखा गया है। इन सभी केन्द्रों पर मातृ व शिशु सेवाओं की पुख्ता व्यवस्था के लिये अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे। तीन इन्टेन्सिव केयर यूनिट व तीन नये बर्न यूनिट खोलने का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपकेन्द्रों के भवन निर्माण व चिकित्सकों के लिये आवासीय भवनों के निर्माण हेतु विभिन्न रोजगार योजनाओं से समन्वय कर, एक व्यापक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जायेगा। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में 115 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ऑपरेशन थियेटरों का भवन निर्माण करवाने के साथ साथ रोगी वाहन भी उपलब्ध कराये जायेंगे।
93. यह हर्ष का विषय है कि 1994-95 में विश्व बैंक की सहायता से दो नई परियोजनाएं प्रदेश में आरम्भ की जा रही हैं। इण्डिया पोपुलेशन प्रोजेक्ट आई.पी.पी. नवम के अन्तर्गत 10 रेगिस्तानी जिलों के लिये 108 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत हो गई है, जिसके लिये प्रथम वर्ष 1994-95 में 24 करोड़ रुपये का

प्रावधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत नये ऑपरेशन थियेटर, डिलीवरी रूम, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उपकेन्द्रों के भवन, राज्य स्तर पर तथा समस्त 30 जिलों में औषधि भण्डार भवन निर्माण करने व अन्य सुविधाएं देने की योजना है। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्यस्तरीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना जयपुर में तथा सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना जोधपुर में किये जाने का भी प्रावधान है।

94. विश्व बैंक की सहायता से अन्धता निवारण की एक परियोजना 65 करोड़ रुपये की लागत से प्रारम्भ की जा रही है, जिसके अन्तर्गत विशेष रूप से मोतियाबिन्द के ऑपरेशन, निःशुल्क चश्मों का वितरण और नेत्र चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने आदि की व्यवस्था है।

95. सरकारी अस्पतालों में गरीब व जरूरतमंद भर्ती रोगियों को औषधि, भोजन व बिस्तर की समुचित व्यवस्था के लिए 5 करोड़ रुपये के वर्तमान प्रावधान को अगले वर्ष बढ़ा कर 10 करोड़ रुपये किया गया है।

96. यू.एन.एफ.पी.ए. परियोजना को सरकार के प्रयास से दो वर्ष के लिये और बढ़वाया गया है, जिसके लिए वर्ष 1994-95 में 8 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है। इस परियोजना के अन्तर्गत मुख्यतः प्रशिक्षण संस्थाओं के सुदृढीकरण, प्रचार एवं प्रसार कार्यक्रम का विस्तार आदि प्रस्तावित हैं। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी के लिये स्वास्थ्य-कर्मी योजना भी क्रियान्वित करेगी, जिसमें स्वैच्छिक संस्थाएँ स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनके माध्यम से न्यूनतम चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध करवायेंगी।

97. दानदाताओं, निजी उद्यमियों के सहयोग से चिकित्सा सुविधा व साधनों में वृद्धि हेतु सरकार का अनेक उत्प्रेरक प्रावधान रखने का प्रयास है, जैसे कम ब्याज पर ऋण तथा रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराना, आदि। निजी उद्यमियों द्वारा लगाई राशि पर आयकर में शतप्रतिशत की छूट हेतु सरकार प्रयत्न करेगी।

98. राज्य के मेडीकल कॉलेजों में वर्ष 1994-95 में उपचार सेवाओं को आधुनिक व सशक्त करने हेतु आयोजना मद में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

एस.एम.एस. मेडीकल कॉलेज जयपुर में कोरोनरी बाईपास सर्जरी, अजमेर में कार्डियोलोजी तथा रेडियो-थेरेपी, बीकानेर में हृदय रोग उपचार हेतु आधुनिक सुविधा आदि का विकास किया जायेगा। साथ ही जोधपुर मेडीकल कॉलेज में ट्रोमा वार्ड, उदयपुर में कोबाल्ट थेरेपी भवन व स्किन एवं वीडी वार्ड, अजमेर में 300 शैयाओं वाले मातृ शिशु चिकित्सालय भवन, कोटा में मेडीकल कॉलेज के नये भवन के निर्माण, तथा सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर आपातकालीन सेवा व उपचार के लिए विशेष प्रबन्ध हेतु समुचित राशि का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

परिवार कल्याण

99. राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण हेतु 1994-95 में आयोजना मद में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

आयुर्वेद

100. चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा की सरकारी संस्थाओं द्वारा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 1994-95 में सरकार इन सुविधाओं में और अधिक विस्तार कर सुदृढ़ करने का प्रयास करेगी। प्रदेश की गरीब जनता को दी जाने वाली औषधि के वित्तीय प्रावधान को दुगना करने की योजना है। जनजाति क्षेत्र में पांच नए औषधालय खोले जायेंगे। औषधालय के भवनों की कमों को देखते हुए जवाहर रोजगार योजना व अन्य ऐसी योजनाओं का सहयोग लेकर 300 से अधिक औषधालय भवनों के निर्माण की योजना है।

महिला एवं बाल विकास

101. राज्य में महिला विकास कार्यक्रम 14 जिलों की 99 पंचायत समितियों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं कानून सम्बन्धी जागरूकता उत्पन्न करना है। ग्रामीण महिलाओं को कृषि, पशुपालन एवं रोजगार इत्यादि से सम्बन्धित प्रशिक्षण भी दिलवाया जा रहा है जिसके कारण स्वरोजगार के माध्यम से उनकी आय में

वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के विकास का कार्यक्रम द्वारा 19 जिलों की 89 पंचायत समितियों में चलाया जा रहा है। द्वारा समूह द्वारा उत्पादित सामग्री की बिक्री राजस्थान हाथ करघा निगम के केन्द्रों के माध्यम से करने की व्यवस्था की जा रही है।

102. वर्ष 1994-95 में 17 नई समेकित बाल विकास परियोजनाएँ प्रारम्भ की जायेंगी तथा लगभग 850 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण 2 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा। यह राशि भवन निर्माण पर होने वाले कुल व्यय का एक तिहाई हिस्सा होगी और शेष राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा अपने मौजूदा कार्यक्रमों से उपलब्ध करवाई जायेगी।
103. सामाजिक सुरक्षा कवच कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार एवं स्वीडन सरकार के मध्य एक समझौता हुआ है। इसके अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये 15 करोड़ रुपये की स्वीडिश सहायता राजस्थान और उड़ीसा राज्यों के लिये उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सहायता समेकित बाल विकास सेवा के लिये वर्तमान में उपलब्ध करवाई जा रही राशि के अतिरिक्त होगी और इसका उपयोग आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषाहार वितरण के अतिरिक्त उपलब्ध करवाई जाने वाली अन्य सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु किया जायेगा।
104. महिलाओं हेतु राज्य में गृह उद्योग योजना के नाम से प्रशिक्षण की योजना स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में चलाई जा रही है। अगले वर्ष इस प्रकार की योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिये चलाई जावेगी ताकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिलाया जाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।
105. आज भी राजस्थान में महिलाएँ सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजनैतिक दृष्टि से काफी पिछड़ी हुई हैं। राज्य में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत तो केवल 20% है। महिलाओं की उन्नति के बिना समाज की प्रगति कठिन है। अतः महिलाओं की समस्या के निराकरण के लिए व समग्र प्रगति के लिये राज्य सरकार का मन्तव्य एक स्थायी आयोग गठन करने का है।

106. कई पढ़ी लिखी महिलाएँ परिवार के दायित्व के कारण राज्य या संगठित क्षेत्र में काम पर नहीं जा सकती हैं। दूसरी ओर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षकों की कमी से लड़कियों का स्कूलों में प्रवेश प्रभावित होता है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा से स्वावलम्बन हेतु सरकार ने सरस्वती योजना चलाने का निर्णय लिया है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घर में लड़कियों के लिये आंगनशाला चलाने की इच्छुक महिलाओं के चयन के बाद उनके प्रशिक्षण का भार सरकार स्वयं उठायेगी तथा उन्हें संतोषजनक स्थिति में शाला चलाने पर पहले वर्ष 6000 रुपये, दूसरे वर्ष 4000 रुपये तथा तीसरे वर्ष 2000 रुपये सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दिये जायेंगे। तीन वर्ष के बाद कोई अनुदान देय नहीं होगा।

समाज कल्याण

107. अनुसूचित जाति छात्रों को उत्तम गुणवत्ता की शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, राज्य सरकार द्वारा टोंक व बारां जिलों में दो आवासीय विद्यालय वर्ष 1994-95 में स्थापित किये जायेंगे व इनकी स्थापना व संचालन पर 1 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि व्यय की जायेंगी। प्रत्येक विद्यालय में 400 छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।
108. राजकीय अनुसूचित जाति एवं जन जाति छात्रावासों के आवासीय छात्रों को खाली समय में विभिन्न आजीविका उन्मुख प्रवृत्तियों में प्रशिक्षण दिलाने के उद्देश्य से “शिक्षण से स्वावलम्बन” योजना सभी राजकीय छात्रावासों में क्रियान्वित की जायेगी। इससे लगभग 4 हजार छात्र अगले वर्ष लाभान्वित होंगे। वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ 30 लाख रुपये इस योजना पर व्यय किये जायेंगे।
109. वर्ष 1994-95 में 45 अनुसूचित जाति छात्रावासों के निर्माण पर 6.75 करोड़ रुपये व्यय करना प्रस्तावित है, जो स्कूल परिसरों में अथवा स्कूल परिसर के समीप निर्मित कराये जायेंगे।
110. “सम्बल गाँवों” जिनमें कि अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक है, में आधारभूत सुविधाओं का समग्र रूप से विकास करने के उद्देश्य से वर्ष 1994-95 में 6 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

111. राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा अनुसूचित जाति व जन जाति के निर्धन व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु स्वरोज़गार पर आधारित योजनाएं क्रियान्वित की जायेंगी। उपरोक्त जातियों के निर्धन व्यक्तियों हेतु लघु सिंचाई पर आधारित योजनाएं बनाई जायेंगी एवं सहकारिता के आधार पर मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा। निगम द्वारा उपरोक्त कार्यों हेतु अगले वर्ष 3 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

जनजाति क्षेत्रीय विकास

112. वर्ष 1994-95 में जनजाति के विकास हेतु विभिन्न स्रोतों से लगभग 277 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी जो वर्ष 1993-94 में प्राप्त राशि से 28.76 प्रतिशत अधिक है।
113. आदिवासी छात्रों के लिए उदयपुर जिले में, सलूमबर तहसील एवं चित्तौड़गढ़ की प्रतापगढ़ तहसील में वर्ष 1994-95 में दो आवासीय छात्रावासों का निर्माण करवाया जावेगा। इन छात्रावासों में आदिवासी छात्र रहने के साथ-साथ विद्या, खेल, व्यायाम आदि की सुविधायें प्राप्त कर सकेंगे। इन छात्रावासों पर 1.50 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली आदिवासी छात्राओं के लिए पांच छात्रावासों का निर्माण किया जावेगा। आश्रम छात्रावासों के रख रखाव में सुधार हेतु 80.00 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।
114. अगले वर्ष में 35.00 लाख रुपये की लागत से जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के लिये उदयपुर में एक शल्य चिकित्सा इकाई स्थापित की जायेगी।

विशिष्ट समस्या ग्रस्त क्षेत्रों का विकास

115. राज्य के कई जिलों में ऐसे क्षेत्र हैं जो दस्यों के आतंक से ग्रसित हैं, आवागमन की दृष्टि से इन क्षेत्रों में पर्याप्त यातायात की सुविधायें नहीं हैं तथा कुछ क्षेत्रों में बीहड़ भी हैं। अन्य राज्यों की सीमा से जुड़े हुये इन जिलों की विशिष्ट समस्याओं के कारण इनका पूर्ण विकास इनकी क्षमताओं के अनुरूप नहीं हो पा रहा है। अलग अलग योजनायें होते हुए भी इन जिलों की विशिष्ट समस्याओं हेतु

समन्वित रूप से वर्तमान में कार्यक्रम नहीं चलाये जा रहे हैं। अतः मैंने निर्णय लिया है कि इन जिलों, जिनमें झालावाड़, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, चित्तोड़गढ़, शामिल है, कि विशिष्ट समस्याओं के समाधान हेतु दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में समन्वित विकास कार्यक्रम चलाये जावेंगे। भरतपुर व अलवर जिलों में मेवात क्षेत्र के विकास के लिये बोर्ड का गठन पहले ही कर दिया गया है। बोर्ड के विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिये चालू वर्ष के एक करोड़ रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर आगामी वर्ष में 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आगामी वर्ष में अन्य विशिष्ट समस्याग्रस्त इलाकों के समन्वित विकास के कार्यक्रम हेतु 7 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

उद्योग

116. राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिये स्थानीय एवं प्रवासी उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि राज्य में अनेक वृहद् उद्योगों ने हाल में ही उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है या वे उत्पादन प्रारम्भ करने की स्थिति में आ गये हैं। इन वृहद् उद्योगों द्वारा राज्य में लगभग 2000 करोड़ रुपये के विनियोजन का अनुमान है।
117. इस वर्ष भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में डिस्ट्रिक्ट रुरल इण्डस्ट्रीज प्रोग्राम ड्रिप आरम्भ किया गया है। इस योजना के तहत गैर कृषि क्षेत्रों में बैंकों द्वारा छोटे उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। नाबार्ड द्वारा सवाईमाधोपुर जिले के लिये इस योजनान्तर्गत 25 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त पाँच वर्षों में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार के प्रयत्नों से इस योजना के अनुरूप अन्य जिलों में भी कार्यक्रम चलाने का प्रयास किया जा रहा है।
118. उद्योगों में रुग्णता दूर करने तथा रुग्ण उद्योगों को पुनर्वासित करने के लिये हाल ही में एक योजना आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत रुग्ण लघु उद्योग इकाईयों को 5 लाख रुपये तक की पूंजी बतौर कार्यशील पूंजी के उपलब्ध कराई जावेगी।
119. अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छोटे उद्यमियों को ऋण राशि में वित्त

निगम द्वारा 2 प्रतिशत तक की ब्याज में छूट प्रदान की जाती है। अब तक यह छूट 1 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर दी जा रही थी, किन्तु अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर लागू कर दिया गया है।

120. राज्य से अनेक वस्तुओं का निर्यात हो रहा है जिनमें रत्न एवं आभूषण, निर्मित वस्त्र, ग्वार गम, हस्तशिल्प आदि प्रमुख हैं। राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि केन्द्र सरकार द्वारा लागू की जा रही “निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क” योजना के अन्तर्गत राजस्थान में भी आवश्यक सुविधा का विकास किया जाये। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को लगभग 27 करोड़ रुपये लागत की एक परियोजना बनाकर प्रस्तुत कर दी गई है। उक्त परियोजना के माफ़त औद्योगिक पार्क में निर्यात-मूलक उद्योगों हेतु उच्च कोटि की सुविधाएँ उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

खनिज

121. खनिजों के विकास की दृष्टि से चालू वित्त वर्ष में पूर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण की 65 योजनाएं हाथ में ली गई एवम् लिग्नाईट के 102 करोड़ टन के भण्डार प्रमाणित किये जा चुके हैं। खनिज उद्योगों को आधारभूत सुविधाएं, एवम् खनिज पूर्वेक्षण व खनिज प्रशासन को गति प्रदान किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से कतिपय नीतिगत संशोधन किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। इससे राज्य सरकार के रायल्टी राजस्व में वृद्धि के साथ साथ नियोजन के अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध होंगे।
122. सैण्डस्टोन, कोटा स्टोन एवं संगमरमर कटाई-पॉलिशिंग संयंत्र भी बड़ी संख्या में स्थापित हो रहे हैं। संगमरमर के निर्यात में भी काफी वृद्धि हुई है। ग्रेनाइट उद्योग के क्षेत्र में लगभग 700 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश होने की संभावना है व अगले कुछ वर्षों में सीमेन्ट उत्पादन में लगभग 3000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश राजस्थान में सम्भावित है।

पर्यटन

123. राजस्थान में पर्यटन एक प्रदूषण रहित उद्योग की तरह स्थापित हो चुका है

जिसके कारण रोज़गार के अवसर तीव्र गति से बढ़े हैं। पर्यटन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इसका आयोजना व्यय 6 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 12 करोड़ रुपये कर देने का प्रस्ताव किया है।

124. राज्य सरकार की नीति अब निजी निवेशकों को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने की है। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग तो मार्च 1989 में ही घोषित कर दिया था। हाल ही में पर्यटन योजनाओं में निजी निवेश के लिये 15 से 20 प्रतिशत तक अनुदान देने की घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। इस हेतु अगले वर्ष 1.50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान में कई ऐतिहासिक धरोहर जैसे प्राचीन किले, गढ़ व महल आदि हैं। इनमें से अधिकांश का संरक्षण पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता रहा है। किन्तु उनके पास इसके लिये पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस बार लगभग 6 करोड़ 50 लाख रुपये इसके संरक्षण एवं विकास हेतु रखे हैं।

125. देश के कुल 20 हैरिटेज होटलों में से 15 ऐसे होटल राजस्थान में स्थित हैं और इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग सतत प्रयत्नशील है। इसी क्रम में पेड़ंग गेस्ट योजना के अंतर्गत राज्य के नौ शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, माउण्ट आबू एवं पुष्कर में 562 परिवारों के माध्यम से 4 हजार से अधिक व्यक्तियों के ठहराने की सुविधा जुटाई गई है।

126. विश्वप्रसिद्ध जैसलमेर किले का संरक्षण करने के लिये 95 लाख रुपये की लागत से गन्दे पानी एवं सीवरेज की निकास योजना का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। 1994-95 में डेचू, सालासर, देवली, पिण्डवाडा तथा ब्यावर में पर्यटकों हेतु "मिडवे" सुविधाओं का निर्माण करवाया जायेगा।

127. भारत में विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का अनूठा सम्मिश्रण है। इस दृष्टि से राजस्थान की भारत में विशिष्ट पहचान है। यहां के धार्मिक स्थल जन साधारण की धार्मिक श्रद्धा व आस्था के प्रतीक होने के साथ-साथ पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। परन्तु इनमें अधिकांश स्थलों में पर्यावरण सुधार व आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है। माननीय सदस्यों को विदित ही है कि पूर्व में भी राज्य सरकार ने दरगाह शरीफ, अजमेर एवं पुष्कर के सर्वांगीण विकास हेतु 8 करोड़ 84 लाख रुपये की बृहद् क्षेत्रीय विकास योजना स्वीकृत की थी जो

प्रगति पर है। इसी क्रम में इस वर्ष कैलादेवी, गोगामेढ़ी, सालासर जी, रामदेवरा, देशनोक, मेहन्दीपुर बालाजी व नागौर की दरगाह का योजनाबद्ध विकास किया जायेगा। इस कार्य हेतु 1994-95 में दो करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

कला एवं संस्कृति

128. मूर्तिकला, वास्तुकला, ललितकला आदि सभी क्षेत्रों में राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को देखने के लिये देश-विदेश से प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक यहां आते हैं। इस धरोहर की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कोटा के ब्रजविलास भवन में तथा डूंगरपुर में नये संग्रहालय स्थापित किये जा रहे हैं। सीकर में भी नये संग्रहालय का भवन निर्माणाधीन है जिसमें लगभग 44 लाख रुपये की लागत आयेगी तथा इसमें शेखावाटी की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर को प्रदर्शित किया जायेगा। स्वतंत्रता सेनानी केशरीसिंह बारहठ की शाहपुरा (जिला भीलवाड़ा) स्थित हवेली की मरम्मत तथा जीर्णोद्धार का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

परिवहन

129. मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम इस वर्ष भी लाभ अर्जित करेगा। सरकार ने अगले वर्ष से इस निगम को बजट से अनुदान नहीं देने का निर्णय लिया है।

सार्वजनिक निर्माण

130. राज्य में 9158 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से वर्ष 1993 तक 7273 पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। इस वर्ष 100 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जावेगा। शेष रहे सारे पंचायत मुख्यालयों को 3 वर्ष की अवधि में सड़कों से जोड़ दिये जाने की योजना है।
131. वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार कुल 77 गांव जिनकी आबादी 1500 से अधिक है, सड़कों से जुड़े हुये नहीं हैं, इन्हें इस वर्ष सड़कों से जोड़ दिया जावेगा।

इसी प्रकार 1981 जनगणना 1000 के ऊपर जनसंख्या के सभी गांवों को सन् 2000 तक डामर की सड़कों से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।

132. राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 8 जयपुर-दिल्ली सड़क पर चार लेन का निर्माण कार्य एशिया विकास बैंक की सहायता से 90 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर है। 68 कि.मी. लम्बाई में चार लेन का कार्य वर्ष 1996 तक पूरा कर दिया जावेगा। इसी प्रकार 5 उच्च मार्गों के नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण के कार्य विश्व बैंक के सहयोग से प्रगति पर है। अन्य 10 उच्च मार्गों के लिये योजना बनाकर विश्व बैंक को प्रेषित की जा रही है।
133. वर्ष 1994-95 में सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु 137 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से 39.20 करोड़ रुपये का व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर किया जावेगा।
134. सड़कों पर बढ़ते यातायात को देखते हुये यह आवश्यक हो गया है कि नवीन उच्च मार्गों, मुख्य उप मार्गों एवं छोटे हुए पुलों के निर्माण के लिये निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जाये। इस संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन प्रस्तावित है। इन कार्यों को निजी अभिकर्ताओं के द्वारा पूर्ण करने के बाद इनकी लागत, टोल टैक्स द्वारा प्राप्त की जायेगी। राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम ऐसे निर्माण कार्यों के लिये वित्तीय संस्थाओं से आर्थिक साधन जुटाकर निर्माण की पहल करेगा जिससे इस योजना के अन्तर्गत निजी उद्यमियों से सहयोग उपलब्ध हो सके।
135. राज्य की सड़कों के सुधार के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु एक सड़क सुधार विकास कोष बनाने का भी प्रस्ताव है।

स्थानीय निकाय एवं नगरीय विकास

136. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अगले वर्ष 11 हजार से अधिक मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य को सम्पादित करने के लिये 109 करोड़ रुपये व्यय किये जावेंगे।
137. भूमि रूपांतरण हेतु जारी नये आदेशों से लगभग 2 लाख व्यक्तियों के

भूखण्ड नियमित किये जा सकेंगे। इससे जनता की लम्बे अर्से से उलझी हुई आवासीय समस्या भी दूर होगी।

138. जयपुर शहर के मालवीयनगर व दुर्गापुरा रेल्वे क्रॉसिंग पर वाहनों के लिए भूमिगत मार्ग बनाये जावेंगे।
139. भारत सरकार ने कोटा शहर को काउन्टर मैग्नेट योजना में सम्मिलित कर लिया है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपये का अंशदान चालू वर्ष में दिया जा चुका है। वर्ष 1994-95 में भी 2 करोड़ रुपये और दिये जायेंगे। भारत सरकार से प्राप्त बराबर राशि को मिलाकर बड़े पैमाने पर विकास कार्य हाथ में लिये जायेंगे जिससे इस शहर के विकास को गति मिलेगी।
140. हरिजन कष्ट मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। नेहरु रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में 5325 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
141. अगले वित्तीय वर्ष में नगरीय वैज्ञानिक रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 लाख 93 हजार अतिरिक्त मानव दिवस सृजित किये जाने का लक्ष्य है।
142. उदयपुर की झीलों में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए वहाँ जिला प्रशासन के निर्देशन में नगर पालिका तथा नगर विकास न्यास के माध्यम से विकास कार्य कराया जायेगा। राज्य सरकार इस कार्य हेतु 40 लाख रुपये का अनुदान देगी।
143. जयपुर शहर की सड़क, विद्युत एवं सीवर लाइनों के विकास हेतु वर्ष 1994-95 में 8 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

कानून व व्यवस्था तथा न्याय

144. प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकवादियों और तस्करों की गतिविधियों की रोकथाम करना देश की सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके लिये राज्य सरकार ने सीमावर्ती जिलों में पुलिस के सुदृढीकरण हेतु अनेक कदम

उठाए हैं। समस्त सीमावर्ती थानों को अतिरिक्त जीपें उपलब्ध कराई गई हैं। दूरसंचार उपकरण तथा हथियार भी उपलब्ध कराए गये हैं। इस वर्ष सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजना (बी.ए.डी.पी.) के तहत भी सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग 7 करोड़ रुपये के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। राज्य सरकार केन्द्र सरकार से इस उद्देश्य हेतु अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

145. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों तथा महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्प है और राज्य सरकार का यह प्रयास रहेगा कि इन वर्गों के सदस्यों को अधिक से अधिक संरक्षण दिया जावे।
146. कानून एवं व्यवस्था की वर्तमान स्थिति तथा न्यायिक अदालतों में चल रहे मुकदमों की भारी संख्या को देखते हुए राज्य सरकार यह विचार कर रही है कि कुछ अधिनियमों के तहत कार्यवाही करने के अधिकार कार्यपालक दण्डनायकों को प्रदत्त कर दिये जावें। ऐसा करने से कार्यपालक दण्डनायकों को कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में मदद मिलेगी। उपरोक्त उद्देश्य हेतु राज्य सरकार शीघ्र ही दण्ड प्रक्रिया संहिता में आवश्यक संशोधन करने का विचार कर रही है।
147. महिलाओं एवं अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मुकदमों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देशों के फलस्वरूप वर्ष 1993 में क्रमशः 2943 एवं 2660 मुकदमों में निबटाये गये।
148. न्याय शीघ्र सुलभ कराने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु 5 नये अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण हेतु 5 न्यायालय, विशेष साम्प्रदायिक दंगों से संबंधित 2 न्यायालय व 20 मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय वर्ष 93-94 में खोले गये हैं। आगामी वर्ष में 20 नये मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने पर 70 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
149. न्यायिक अधिकारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की 50 प्रतिशत सहायता से वर्ष 1993-94 में 260 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। वर्ष 1994-95 में यह राशि 6 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

दौसा, बारां व राजसमन्द में सत्र न्यायालय भवनों के निर्माण पर अगले वर्ष में 2 करोड़ 10 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

युवा एवं खेल कूद

150. आगामी वर्ष में राज्य में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रति वर्ष एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को "खेल-रत्न" पुरस्कार स्वरूप 50,000/- रुपये नकद राशि देकर सम्मानित किया जावेगा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् हेतु 1.50 करोड़ रुपये तथा विभाग को 76 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे स्टेडियम आदि का निर्माण एवं राज्य में खेलों को प्रोत्साहन मिलेगा।

वर्कचार्ज प्रथा की समाप्ति

151. राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग एवं अन्य विभागों में लगभग 75 हजार वर्कचार्ज कर्मचारी कार्यरत हैं, जो वर्कचार्ज सेवा नियम, 1964 एवं विभागीय स्थाई आदेशों से शासित होते थे।
152. पिछले कई वर्षों से ये कर्मचारी अन्य राज्य कर्मचारियों को देय सभी सुविधाओं को दिये जाने की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने इनकी समस्याओं के सम्बन्ध में ललित किशोर कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की अभिशंसा के अनुरूप राज्य सरकार ने वर्कचार्ज प्रथा को समाप्त कर दिया है। इनके चरणबद्ध नियमितीकरण हेतु आदेश जारी किये जा चुके हैं।

कर्मचारी कल्याण

153. राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण करने अथवा निर्मित भवन क्रय हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है किन्तु सीमित संसाधनों के कारण इस हेतु प्रावहित राशि काफी कम रहती है। अतएव अगले वर्ष में एच.डी.एफ.सी. से ऋण लेकर कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से 15 करोड़ रुपयेका प्रावधान किया गया है ताकि कर्मचारियों की आवासीय समस्याओं का हल हो सके।
154. राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए समय समय पर कई

कदम उठाये हैं। पुलिस कर्मियों के आवास की समस्या गम्भीर है। पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से अलग से निश्चित व्यवस्था स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है। इसके लिए मैं 1 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक कोष हेतु प्रावधान इस बजट में प्रस्तावित करता हूँ।

विधानसभा भवन

155. हमारी जनतांत्रिक प्रणाली में विधान सभा का सर्वाधिक महत्व है। विधानसभा का वर्तमान भवन यद्यपि ऐतिहासिक है लेकिन अब यह भवन हमारी आवश्यकता के अनुरूप नहीं रह गया है। पिछले कुछ वर्षों से विधानसभा का नया भवन बनाने का विचार हम सब के मानस में आ रहा था लेकिन अतीत से मोह तथा वित्त की कमी के कारण हम इस विचार को मूर्त रूप नहीं दे पा रहे थे। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि विधानसभा का नया भवन निर्माण करने का निर्णय सरकार ने लिया है। अगले वर्ष में इसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

कम्प्यूटरीकरण

156. विकासीय योजनाओं को तैयार एवं उनकी सामयिक मॉनिटरिंग करने के सन्दर्भ में सम्बन्धित आंकड़ों एवं सूचनाओं की विश्वसनीयता तथा तत्काल उपलब्धता का महत्वपूर्ण स्थान है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कम्प्यूटर तकनीक का त्वरित उपयोग किया जावेगा। राज्य के समस्त ग्रामों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं एवं इनमें क्रियान्वित की जा रही विकास योजनाओं की सूचना अगले चार-पांच माह में कम्प्यूटर के माध्यम से जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के उपयोग हेतु उपलब्ध करायी जाएगी। करदाताओं एवं कोषों के मध्य लेखे-जोखे की प्रणाली को कम्प्यूटरों की सहायता द्वारा सरल एवं विश्वसनीय बनाया जावेगा। फलस्वरूप करदाताओं की कई वर्तमान कठिनाइयों के निराकरण के साथ-साथ कर संग्रह की प्रभावी मॉनिटरिंग भी होगी। कम्प्यूटरीकरण के विस्तार की दिशा में राज्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन कार्यों हेतु कुल 165 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

राज्य लाटरी

157. राज्य लाटरी विभाग द्वारा वर्तमान में 2 रुपये, 5.50 रुपये, 11 रुपये व 22 रुपये प्रति टिकट की चार लाटरियाँ संचालित की जा रही हैं। यह सभी लाटरियाँ एक अंकीय व दैनिक ड्रा वाली हैं। वर्तमान में इनका चलन अत्यधिक बढ़ गया है और समाज के विभिन्न वर्गों पर इसके दुष्परिणाम उजागर हो रहे हैं। सदन में भी माननीय सदस्यों ने इन लाटरियों के विरुद्ध अपनी भावनाएँ प्रकट की हैं। सरकार का यह अनुमान है कि 2 रुपये प्रति टिकट वाली लाटरी का सर्वाधिक निम्न आय वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है। अतः 2 रुपये प्रति टिकट की लाटरी को सरकार ने 1.4.1994 से बन्द करने का निर्णय लिया है। शेष एक अंकीय लाटरियों के बावत भी सरकार समीक्षा कर यथोचित निर्णय लेगी।

वर्ष 1993-94 के संशोधित अनुमान

158. वर्ष 1992-93 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 186 करोड़ 13 लाख रुपये का समग्र अधिशेष अनुमानित था जबकि वर्ष के अन्त में 5 करोड़ 60 लाख रुपये का घाटा रहा। फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही 191 करोड़ 73 लाख रुपये के संसाधनों की कमी विरासत में मिली। राज्य में इस वर्ष दिसम्बर 1993 के प्रारम्भ तक राष्ट्रपति शासन रहा और इस दौरान योजना व्यय के लिए वांछित 150 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लक्ष्य के मुकाबले 91 करोड़ रुपये के ही साधन जुटाने से 59 करोड़ रुपये की कमी रही। इस वर्ष केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से की राशि में संघ उत्पाद शुल्क के पेटे राज्य सरकार को पूर्व में किये गये अनुमानों की तुलना में 53 करोड़ 60 लाख रुपये की राशि कम प्राप्त होगी। प्रारम्भिक अधिशेष के उपलब्ध नहीं होने तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हुए अतिरिक्त व्ययों के कारण, इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक घाटा और भी अधिक होता लेकिन वित्तीय अनुशासन लागू करने, कर एवं कर भिन्न राजस्व की बेहतर वसूली तथा अल्प बचत संग्रहण पेटे ऋण की अधिक प्राप्तियों के कारण अब चालू वर्ष का घाटा 134 करोड़ 25 लाख रुपये अनुमानित है। यहाँ मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि सम्भावित प्रारम्भिक अधिशेष के घाटे में बदल जाने एवं वर्ष के दौरान आय-व्ययक अनुमानों से अतिरिक्त दायित्वों का

राजकीय खजाने पर भार पड़ने के कारण राजकीय मार्गोपाय की स्थिति पर सतत निगरानी रखी गई है।

159. वर्ष 1993-94 के संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

1.	राजस्व प्राप्तियाँ	5545.44 करोड़ रुपये
2.	राजस्व व्यय	5862.61 करोड़ रुपये
3.	राजस्व खाते में घाटा	(-)317.17 करोड़ रुपये
4.	पूँजीगत प्राप्तियाँ (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	1881.36 करोड़ रुपये
5.	पूँजीगत व्यय	1692.84 करोड़ रुपये
6.	पूँजीगत आधिक्य	(+)188.52 करोड़ रुपये
7.	समग्र घाटा	(-)128.65 करोड़ रुपये

160. वर्ष 1992-93 के वास्तविक लेखों के अनुसार वर्ष के अन्त में रहे 5 करोड़ 60 लाख रुपये के घाटे को जोड़ने के पश्चात वर्ष 1993-94 के अन्त में समग्र घाटा 134 करोड़ 25 लाख रुपये का होने का अनुमान है।

161. अगले वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

1.	राजस्व प्राप्तियाँ	6051.67 करोड़ रुपये
2.	राजस्व व्यय	6534.44 करोड़ रुपये
3.	राजस्व खाते में घाटा	(-)482.77 करोड़ रुपये
4.	पूँजीगत प्राप्तियाँ (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	2119.99 करोड़ रुपये
5.	पूँजीगत व्यय	1843.53 करोड़ रुपये
6.	पूँजीगत आधिक्य	(+) 276.46 करोड़ रुपये
7.	समग्र घाटा	(-)206.31 करोड़ रुपये

162. चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष के अन्त में रहे 134 करोड़ 25 लाख रुपये के घाटे को जोड़ने के पश्चात वर्ष 1994-95 के अन्त में समग्र घाटा 340 करोड़ 56 लाख रुपये रहने का अनुमान है।
163. चालू वर्ष के अनुमानों में 894 करोड़ 57 लाख रुपये की ब्याज अदायगियां अनुमानित की गई थी जो संशोधित अनुमानों के अनुसार 6 करोड़ 46 लाख रुपये घट कर 888 करोड़ 11 लाख रुपये आंकी गई है। आगामी वर्ष के आय-व्ययक अनुमानों में ब्याज अदायगियों हेतु 1059 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जो संशोधित अनुमान 1993-94 की तुलना में 171 करोड़ 69 लाख रुपये अधिक है। राजस्व प्राप्तियों में अभिवृद्धि के कारण, ब्याज अदायगियों का भार कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में वर्ष 1993-94 के संशोधित अनुमानों में 16.02 प्रतिशत एवं आगामी वर्ष के आय-व्ययक अनुमानों में 17.51 प्रतिशत बनता है।
164. वर्ष 1994-95 के 2450 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आयोजना व्यय के पोषण हेतु राज्य के स्वयं के संसाधन 758 करोड़ 54 लाख रुपये, योजनागत राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु अनुदान 306 करोड़ 73 लाख रुपये, बाजार एवं संस्थागत ऋण 680 करोड़ 96 लाख रुपये, केन्द्रीय सहायता 433 करोड़ 77 लाख रुपये तथा बाह्य सहायता से पोषित परियोजनाओं हेतु 270 करोड़ रुपये के संसाधन उपलब्ध है। राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से योजना आयोग ने आगामी वर्ष में योजना के संसाधनों में चालू वर्ष की तुलना में फार्मूला आधारित केन्द्रीय सहायता में 42 करोड़ रुपये व राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले बाजार ऋणों में 63 करोड़ रुपये व संस्थागत ऋणों में 19 करोड़ 28 लाख रुपये की वृद्धि की है। यद्यपि योजना आयोग ने वर्ष 1994-95 की योजना के वित्त पोषण के लिए 172 करोड़ 62 लाख रुपये के संसाधनों की कमी आंकी थी, परन्तु वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक अनुमानों के अनुसार समग्र घाटा 340 करोड़ 56 लाख रुपये अनुमानित है। इस घाटे को अतिरिक्त संसाधन जुटाकर, कर एवं कर भिन्न राजस्व की बेहतर वसूली एवं मितव्ययता के माध्यम से पूरा करने के प्रयास करने पड़ेंगे।
165. मेरे द्वारा प्रस्तावित किये गये अधिकांश कार्यक्रमों के लिए आय-व्ययक अनुमानों में आवश्यक प्रावधान कर दिये गये हैं। कुछ कार्यक्रमों के लिये परिव्यय की आवश्यकता होगी। उसके लिये यथासमय समुचित कार्यवाही की जावेगी।

166. राज्य की विशिष्ट समस्याओं एवं राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु संसाधनों की आवश्यकताओं के बारे में हमने दसवें वित्त आयोग को भी अवगत कराया है तथा इन मुद्दों पर आयोग के राज्य के दौरे के समय विस्तृत चर्चा भी की है। मुझे विश्वास है कि वित्त आयोग राज्य की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए अधिक संसाधन उपलब्ध करवाने की अभिषंशा करेगा।

भाग-2

167. अब मैं बजट भाषण के उस भाग पर आता हूँ जिसमें करों के संबंध में प्रस्ताव सदन के समक्ष रखूंगा।

168. वर्ष 1993-94 के अन्तराल को छोड़कर, वर्ष 1990-91 से मैं लगातार जो कर प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत करता रहा हूँ उन सब में निम्न उद्देश्यों की पूर्ति पर विशेष जोर दिया गया है:-

- कृषि के विकास को सम्बल मिले।
- व्यवसाय एवं उद्योगों को बढ़ावा मिले तथा रोजगार बढ़े।
- व्यवसाय, वाणिज्य और उद्योगों का राजस्थान से अन्य राज्यों में पलायन न हो।
- कर कानूनों का सरलीकरण किया जाए और उनकी विसंगतियाँ दूर की जाएँ जिससे कर चोरी पर अंकुश लगे और ईमानदार व्यवसायियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
- करारोपण की नीति ऐसी हो जिसमें कर का भार निर्बल, गरीब एवं असहाय पर कम से कम हो।

169. इन नीतियों को लागू करने में काफी सफलता मिली है और उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। साथ ही राजस्व आय में भी बढ़ोतरी हुई है। मार्च 1990 में जब हमारी सरकार सत्ता में आई उस समय करों से आय 1072 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर इस वर्ष 1976 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है।

इस प्रकार गत चार वर्षों में 84% वृद्धि हुई है। वर्ष 1991-92 के बजट में मैंने कोई नया कर नहीं लगाया था, केवल दरों का सरलीकरण ही किया था। उसके बावजूद भी आय में काफी वृद्धि हुई है। मैं इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ और वर्ष 1994-95 में कर राजस्व से 2218 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान करता हूँ।

170. इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में और गत वर्षों के प्रयासों की निरन्तरता में तथा वर्तमान में लागू कानूनों और कर की दरों का विस्तृत अध्ययन कराने के पश्चात् मैंने इस वर्ष के बजट प्रस्तावों में कर कानूनों और कर ढाँचे को और अधिक सरल, सुसंगत व परिणामोन्मुखी बनाने का प्रयास किया है।

बिक्री कर

171. वर्तमान में लागू राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 दिनांक 1.4.1955 से लागू किया गया था। पिछले 40 वर्षों में अनेकानेक संशोधन इसमें किये गये हैं और परन्तुक जोड़े गये हैं जिससे अधिनियम काफी जटिल हो गया है। इस अवधि में विभिन्न न्यायिक आदेशों के कारण कानूनी व्यवस्थाओं में भी बदलाव आया है। अतः हमने बिक्री कर कानून का सरलीकरण करने और उसे तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया और इस परिप्रेक्ष्य में करीब दो वर्ष पूर्व एक नया बिक्री कर अधिनियम बनाने का कार्य शुरू कराया गया। नया अधिनियम बनाने के विषय पर विभिन्न व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों तथा कानून विशेषज्ञों से सलाह मशविरा किया गया। अब विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों पर विचार कर बिक्री कर कानून का एक नया प्रारूप बना लिया गया है जिसे विधान सभा के इसी सत्र में माननीय सदस्यों के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

172. मेरी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि कर राजस्व में केवल कर की दरों को बढ़ाकर ही नहीं बल्कि व्यापार और व्यवसाय को बढ़ा कर भी वृद्धि की जाए। अन्य पड़ोसी राज्यों में कुछ वस्तुओं पर कर की दरें कम होने के कारण राजस्थान के व्यापार का व्यपवर्तन (diversion) हो रहा है, जिसके कारण राज्य के आर्थिक विकास में बाधा तो उत्पन्न होती ही है इसके साथ-साथ सरकार के राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। करों के ढाँचे को सरल व तर्कसंगत बनाने, रोजगार

की संभावनाएँ बढ़ाने व विभिन्न वर्गों को राहत देने के उद्देश्य से हमने कई व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों से विचार विमर्श किया है तथा काफी संख्या में सुझाव व ज्ञापन भी प्राप्त हुए हैं। इन सब को ध्यान में रखकर मैंने निम्नानुसार निर्णय लिये हैं -

173. भारत सरकार द्वारा हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दिये जाने के कारण गरीब तबके के लोगों की वित्तीय कठिनाइयाँ और बढ़ गई हैं। मैं सरकार के इस सकल्प को दोहराता हूँ कि मेरी सरकार गरीब तबके की समस्याओं के प्रति हमेशा पूर्णतया जागरूक रहेगी। इसलिए उनके खाने के उपयोग में आने वाले मोटे अनाज- ज्वार, बाजरा, और मक्का पर वर्तमान में लागू 2.5% बिक्री कर को पूर्णतया समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। गरीब लोगों पर महंगाई के बढ़ते बोझ को कम करने में यह मेरी सरकार का एक छोटा सा प्रयास होगा।

174. राजस्थान चने के उत्पादन में देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परन्तु राजस्थान में चने पर बिक्री कर अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण यहां के किसानों को अपनी चने की उपज पड़ौसी राज्यों की मण्डियों में ले जाकर बेचने का आकर्षण रहता है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि यहां के किसान स्थानीय मण्डियों में ही अपनी उपज को बेचकर उचित मूल्य प्राप्त कर सकें, उनके नाम पर हो रहे करापवंचन को रोका जा सके और यहां की दाल मिलें प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर अपना उत्पादन कर सकें, चने पर बिक्री कर की वर्तमान दर को 4% से घटाकर 1.5% किया जा रहा है।

175. राजस्थान में अक्सर पड़ने वाले अकाल से निपटने के लिए चारे के उत्पादन को बढ़ावा देना आवश्यक है। वर्तमान में चारे के बीज पर 10% के हिसाब से कर वसूल किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के किसानों व संगठनों द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए इस कर को समाप्त करने की मांग की गई है। सरकार ने इस मांग को मानते हुए तथा चारे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य भर में सभी प्रकार के चारा बीजों को बिक्री कर से मुक्त करने का निर्णय लिया है।

176. किसान हमारे आर्थिक ढाँचे का आधार-स्तम्भ है और राजस्थान जैसे विषम इलाके में उनको राहत देना और भी आवश्यक है। अतः किसानों को कुछ और

रियायतें भी दी जा रही हैं। वर्ष 1992-93 के बजट में खरीफ की कुछ फसलों के प्रमाणित बीजों को कर-मुक्त कर दिया गया था। अब खरीफ, रबी व जायद सभी फसलों के सभी प्रकार के प्रमाणित बीजों को 2.5% व 4% के देय बिक्री कर से पूर्णतया मुक्त किया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि प्रदेश के किसान इसका लाभ उठाकर अपने उत्पादन में गुणात्मक व मात्रात्मक सुधार ला पाएंगे।

177. राजस्थान में पिछले वर्षों में तिलहन के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष करीब 29 लाख मेट्रिक टन तिलहन का उत्पादन होने की आशा है। पिछले तीन वर्षों में तिलहन पर आधारित उद्योग बढ़ी संख्या में राजस्थान में स्थापित हुए हैं। इन उद्योगों के सामने एक मुख्य समस्या तिलहन की उपलब्धता रही है क्योंकि काफी मात्रा में तिलहन यहां से अन्य राज्यों में चला जाता है। इस प्रवृत्ति के कारण यहां के तिलहन आधारित उद्योग संकट में आने लगे हैं। इसके साथ ही उपभोक्ता तथा किसानों को भी राज्य में बढ़ी हुई पैदावार का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है क्योंकि एक तरफ उपभोक्ता को अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है और दूसरी तरफ किसान को अपनी उपज पर अतिरिक्त व्यय करके उसे अन्य राज्यों की मंडियों में ले जाकर बेचना पड़ता है। यह एक विड़म्बना ही कही जा सकती है कि एक ओर राजस्थान तिलहन के उत्पादन में अग्रणी है और वहीं दूसरी ओर यहां के तिलहन पर आधारित उद्योगों को तिलहन पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाता है।

राजस्थान में बिक्री कर का ढांचा भी एक कारण है जिससे तिलहन अन्य राज्यों में जाता है। वर्तमान कर दरों के कारण उपभोक्ताओं को भी तेल मंहगी कीमतों पर मिल रहा है। करापवंचन की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिला है जिससे सही टैक्स देने वाले उद्योग कठिनाई में आने लगे हैं। सरकार की राजस्व आय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिये मैंने तिलहन व तेल के क्षेत्र में कर दरों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं जो निम्न प्रकार हैं:-

अभी तक तिलहन पर प्रथम बिन्दु पर करारोपण किया जाता रहा है तथा इस पर 4% कर देय है। जब तिलहन कच्चे माल के रूप में खरीदा जाता है तो उस पर 3% कर देय है। तेल पर कर 6% है और इस प्रकार तेल पर कर का कुल भार 9% पड़ता है। जब वनस्पति निर्माताओं द्वारा तेल कच्चे माल के रूप में खरीदा जाता है तो उस पर क्रय-कर 1.5% की दर से देय है। खल पर भी बिक्री कर की दर 1% है। मैंने यह निर्णय लिया है कि तेल एवं वनस्पति उद्योग में जहां

भी तिलहन, तेल या खल कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाती है उसे क्रय कर से पूर्णतया मुक्त किया जावे। परन्तु वनस्पति इकाइयों के मामले में 1.5% के क्रय कर की छूट केवल उन इकाइयों को ही प्राप्त हो सकेगी जिनको बिक्री कर प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इससे तेल व वनस्पति पर कर का भार क्रमशः 3% व 4.5% कम हो जाएगा।

इसी प्रकार व्यापार के लिए खरीदे गये तिलहन पर लागू 4% क्रय कर अब अंतिम बिन्दु पर हो चुकाता होगा। खल की अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर लगता रहेगा। पर राजस्थान में खल पर बिक्री कर पूर्णतः समाप्त किया जाता है। इससे पशु आहार सस्ती दरों पर मिल सकेगा।

मेरा विश्वास है कि इन उपायों से तेल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा तथा उपभोक्ताओं को भी तेल सस्ती दरों पर मिलने लगेगा। यदि अपेक्षित परिणाम सामने आते हैं तो भविष्य में और रियायतें देने पर विचार किया जा सकता है।

175. समाज के गरीब तबके को विशेष राहत पहुँचाने के लिये कुछ और निर्णय लिये गए हैं।

178.1 पीतल, ताँबे और एल्युमिनियम से बने बर्तनों पर बिक्री कर 8% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

178.2 मुर्गोपालन में कार्यरत लोगों की सुविधा के लिये मुर्गोपालन के समस्त उत्पादों, जिन पर अभी भी बिक्री कर देय है, को बिक्री कर से मुक्त किया जा रहा है।

178.3 ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1992-93 के बजट में मैने सीमेन्ट से बने निर्धूम उन्नत चूल्हों को कर से मुक्त किया था। अब चूँकि धातु से बने निर्धूम उन्नत चूल्हे भी उपयोग में आने लगे हैं अतः इस प्रकार के उन्नत चूल्हों को भी कर से मुक्त किया जा रहा है। इसी प्रकार मैंने पूर्व में नूतन विक स्टोव को कर मुक्त किया था। अब ऐसे सभी विक

स्टोव जिन पर आई.एस. आई. मार्क लगा हो, को बिक्री कर से मुक्त किया जा रहा है।

178.4 बीस रुपये तक के मूल्य के जूते व चप्पलों को पहले ही कर से मुक्त किया हुआ है। बढ़ी हुई महंगाई के परिप्रेक्ष्य में कम आय वर्ग को और राहत देने की दृष्टि से इस सीमा को बढ़ाते हुए 100 रुपये मूल्य तक के, चमड़े को छोड़कर, प्लाटिक, रबड़, रैकजीन आदि के जूते व चप्पलों पर बिक्री कर समाप्त किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1992-93 के बजट में जूते बनाने वाली इकाइयों के लिए प्राकृतिक रबड़, जो कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है, पर 1% की रियायती दर लागू की गई थी, परन्तु सिन्थेटिक रबड़ पर इस प्रकार की छूट नहीं दी गई थी। अब इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक रबड़ के अलावा सिन्थेटिक रबड़ पर वर्तमान में लागू 3% कर को कम करते हुए 1% की रियायती दर लागू की जा रही है।

178.5 बीस रुपये तक के सिले-सिलाये वस्त्रों पर कर से छूट है। परन्तु इसका लाभ गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यह छूट केवल मोटे व मध्यम कपड़े से बने वस्त्रों पर और वह भी केवल रेडीमेड वस्त्र बेचने वाली दूकान से खरीदने पर देय है। इसके अलावा महंगाई के कारण 20 रुपये में किसी भी प्रकार का वस्त्र बाजार में उपलब्ध नहीं रहा। अतः अब इस छूट सीमा को बढ़ाते हुए 100 रुपये मूल्य तक के सभी प्रकार के रेडीमेड वस्त्रों पर छूट देने का निर्णय लिया गया है।

179. अधिकांश पड़ोसी राज्यों में विभिन्न प्रकार के वाहनों पर कर की दरें राजस्थान के मुकाबले कम हैं जिससे हमारे यहाँ वाहनों की बिक्री काफी कम हो रही है और इस कारण राज्य सरकार को न केवल बिक्री कर का बल्कि रोड़ टैक्स का भी नुकसान हो रहा है। इस विषय में वाहन मेलों में छूट देने का प्रयोग पिछले दो वर्षों में किया गया है जिसमें बिक्री कर की दरों में 50% छूट दी गई। परन्तु यह सुविधा स्थायी प्रवृत्ति की न होने के कारण इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाया। इन मेलों के बावजूद भी राज्य के लोग अन्य राज्यों से आवश्यकतानुसार वाहन खरीद कर यहां लाते रहे हैं। इस स्थिति के निराकरण के लिये और राजस्व हित में मोटर वाहनों पर कर की दरें घटाकर निम्न प्रकार तय की गई हैं:-

वाहन की किस्म	वर्तमान दर	नई दर
कार, जीप आदि	10%	4%
भारी वाहन	6%	4%
हल्के वाणिज्यिक वाहन	6%	4%
दुपहिया वाहन	12%	6%

इससे यहाँ की दरें अन्य राज्यों की दरों के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक हो जायेंगी जिससे लोग राज्य के बाहर जाकर वाहन खरीदने की बजाय राजस्थान राज्य में ही वाहन खरीदने लगेगे तथा वाहनों के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

180. मेरी सरकार की यह नीति रही है कि कुटीर एवं लघु उद्योगों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए तथा उसके लिए कई प्रकार की रियायतें पूर्व में हमने दी हैं। इसी क्रम में मैं कुछ और राहतों की घोषणा करता हूँ।
- 180.1 कुटीर उद्योग के क्षेत्र में साबुन निर्माताओं को 1 लाख रुपये तक की वार्षिक बिक्री पर कर से छूट है। इस छूट सीमा को बढ़ा कर 5 लाख रुपये किया जा रहा है जिससे इस उद्योग में कार्यरत लोगों को लाभ मिलेगा।
- 180.2 छाता व छाते के पुर्जे और सामान पर बिक्री कर का भार अधिक होने के कारण छाता उद्योग कठिनाई का सामना करने लगा है। अतः छाते के पुर्जे व सामान जिस पर 3% क्रय कर है उसे पूर्णतया समाप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त छाते की बिक्री पर कर 10% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।
- 180.3 गृहिणियों के काम आने वाले गैस लाईटर को कर से मुक्त किया जाता है।
- 180.4 पापड़ बनाने के काम में आने वाले पापड़ खार को कर से मुक्त किया जाता है।
- 180.5 नमकीन की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर बिना सी-फार्म के 10% कर लागू है जिसे घटाकर 4% करने का निर्णय लिया गया है।

- 180.6 मैंने वर्ष 1992-93 के बजट में 200 रुपये मूल्य तक के हस्तशिल्प एवं सफेद धातु की वस्तुओं पर बिक्री कर माफ किया था। परन्तु कुछ वस्तुएं इस छूट में शामिल नहीं होने के कारण उसका पूरा लाभ हस्तशिल्पियों को नहीं मिल पाया। अब मैं उन विसंगतियों को दूर करते हुए 500 रु. मूल्य तक की हर प्रकार की हस्तशिल्प वस्तुओं को कर से मुक्त कर रहा हूँ। इससे हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में ज्यादा रोजगार मिलेगा।
181. हमारे प्रदेश के आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और वे उद्योगों में भी आने लगी हैं। महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिये उनके द्वारा स्थापित नए टाईनी (Tiny) उद्योगों में निर्मित वस्तुओं की बिक्री पर तीन वर्ष के लिए शत-प्रतिशत कर की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा।
182. जैसा कि आपको विदित है मैंने अपने पूर्व बजट भाषणों में औद्योगिक विकास को पर्याप्त महत्व दिया है। इसी दिशा में वर्ष 1990 में एक नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में बहुत बड़ा पूंजी निवेश हुआ है तथा अनेकों बड़े एवं मध्यम उद्योग स्थापित हुए हैं। सरकार औद्योगीकरण को और अधिक बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त कदम उठायेगी जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश का विकास होगा। इस दृष्टि से हम एक नई औद्योगिक नीति तैयार कर रहे हैं जिसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। फिलहाल उद्यमियों की मांग को देखते हुए निम्न रियायतें दी जा रही हैं।
- 182.1 रेलवे साईडिंग्स, चल स्टॉक, रोक तथा रेल इन्जन जो औद्योगिक इकाईयों द्वारा अपने उद्योग के लिए क्रय किये गए हों उनको बिक्री कर प्रोत्साहन योजना के तहत स्थायी पूंजी निवेश में शामिल नहीं माना जाता है। अब इस प्रकार के पूंजी निवेश पर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लाभ मिल सकेगा।
- 182.2 वर्तमान में पेय पदार्थ (Soft Drinks) उद्योगों को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिल पाता है। राजस्थान में इस उद्योग में ऐसी इकाईयों जिन पर 10 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश किया गया हो को भी प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ दिया जायेगा।

183. राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन खपत से कहीं अधिक है। स्थानीय मांग को पूरा करने के बाद शेष सीमेंट अन्य राज्यों में भेजा जाता है। परन्तु अन्य राज्यों में जाने वाला अधिकांश सीमेंट कन्साईनमेंट या ब्रांच-ट्रान्सफर के रूप में राजस्थान से बाहर जाता है जिस पर राज्य सरकार को कोई कर राजस्व प्राप्त नहीं होता। इसका एक कारण यह है कि राजस्थान में सीमेंट पर केन्द्रीय बिक्री कर की दर सी-फार्म के साथ केवल 4% है परन्तु बिना सी-फार्म के 7% है। अन्य राज्यों के कई खरीददार सी-फार्म जारी नहीं कर पाते हैं और उन पर 7% कर का भार पड़ता है जो पड़ोसी राज्यों के मुकाबले अधिक है। अतः सीमेंट की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर 4% की दर बिना सी-फार्म के भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह अपेक्षा है कि इस कदम से बिना टैक्स चुकाए बाहर जाने वाली सीमेंट का एक बड़ा हिस्सा हमारे दायरे में आ जाएगा। फिलहाल यह रियायत केवल एक वर्ष के लिए ही दी जा रही है परन्तु इसके परिणाम देखकर इसे आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।

183.1 भारत सरकार के राजस्थान में स्थित विभाग अपने विभागीय कार्यों के लिए सीमेंट का क्रय बाहर के राज्यों से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें राजस्थान में सीमेंट क्रय करने पर अधिक बिक्री कर चुकाना पड़ता है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के विभागों द्वारा विभागीय निर्माण कार्यों हेतु खरीदी जाने वाली सीमेंट पर बिक्री कर की दर 16% से घटाकर 5% कर दी जाए।

183.2 राजस्थान में स्थापित कई मिनी सीमेंट इकाईयां बिक्री कर की वजह से अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग करने में कठिनाईयों का सामना कर रही हैं और रुग्ण हो रही हैं। ये वे इकाईयाँ हैं जो बिक्री कर प्रोत्साहन योजना की सीमा पार कर चुकी हैं और उन्हें अब बड़े उद्योगों के बराबर बिक्री कर चुकाना पड़ रहा है। ऐसी सीमेंट इकाईयों को बंद होने से बचाने के लिए एक प्रशमन प्रणाली की योजना **Compounded levy Scheme** लागू की जाएगी जिसके अनुसार प्रोत्साहन अवधि में उनके द्वारा चुकाये गये वार्षिक कर में एक निश्चित वृद्धि करते हुए आगामी वर्षों के लिए उनका कर दायित्व निर्धारित कर दिया जाएगा। संबंधित पक्षों से विचार विमर्श कर इस योजना का विस्तृत विवरण वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पृथक् से तैयार किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत आने वाली सीमेंट इकाईयों पर कर का भार काफी कम हो जाएगा।

184. औद्योगीकरण में प्लान्ट एवं मशीनरी को लीज पद्धति पर उपयोग में लिया जाने लगा है। वर्ष 1990 में लीज पर 10% बिक्री कर लगाया गया था। पिछले कुछ समय से विभिन्न संगठनों द्वारा यह मांग की जाती रही है कि यह दर काफी ऊंची है अतः इसे कम किया जाए। इस मांग को स्वीकार करते हुए प्लान्ट एवं मशीनरी के लीज पर बिक्री कर 10% से घटा कर 4% किया जा रहा है। फिलहाल यह सुविधा दो वर्ष के लिये दी जा रही है। संतोषजनक परिणाम आने पर इसको आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।
185. वर्ष 1990 में मेरी पूर्व सरकार द्वारा **Stainless Steel** की चददरों पर केन्द्रीय बिक्री कर को 4% से घटाकर 1% किया गया था। इस अधिसूचना में **Stainless Steel** की कुछ वस्तुएं मुख्यतः **Stainless Steel Circles** रह गये थे, अब यह निर्णय लिया गया है कि इन वस्तुओं पर भी 1% केन्द्रीय बिक्री कर लागू किया जाए।
186. पाली, जोधपुर, बाड़मेर व जयपुर का रंगाई छपाई उद्योग देशभर में प्रसिद्ध है। इस उद्योग में उपयोग में लिए जा रहे रंग मुख्यतया राजस्थान के बाहर से आयात किए जाते हैं। जिस पर घोषणा पत्र के साथ 4% अन्यथा 10% कर लागू है। परन्तु इस संबंध में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए घोषणा पत्र की शर्त हटाते हुए 10% की वर्तमान दर के स्थान पर 4% की रियायती दर समान रूप से लागू की जा रही है।
187. उपरोक्त के अलावा कुछ और रियायतें दी जा रही हैं:-
- (अ) पी.वी.सी.पाईप फिटिंग्स पर कर की दर को 12% से घटाकर 6% किया जा रहा है।
 - (ब) प्लास्टिक पाइप पर कर जो 12% है उसे भी घटाकर 6% किया जा रहा है।
 - (स) हर प्रकार के **Insulating material** पर कर 12% से घटाकर 4% किया जा रहा है।
 - (द) भारत सरकार के स्पष्टीकरण के आधार पर "कास्ट आयरन कास्टिंग" को लोहा एवं इस्पात माना जाकर इस पर 4% की दर से कर लगाया जाता रहा

हैं किन्तु उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में "कास्ट आयरन कास्टिंग" को "लोहा एवं इस्पात" की श्रेणी में नहीं माना। इस कारण से अब इस पर 10% की दर से कर देय हो गया है। उद्योग, व्यापार व उपभोक्ताओं पर भार कम करने की दृष्टि से मैंने इस कर को 10% की दर से कम करते हुए भूतलक्षी प्रभाव से 4% करने का निर्णय लिया है।

188. कुछ उद्योगों जैसे लोहा एवं इस्पात आदि की ओर से राज्य सरकार के पास इस प्रकार के प्रतिवेदन आ रहे हैं कि उनके उत्पादन के भिन्न-भिन्न स्तरों पर बार-बार कर लगता है, जिससे कर का भार काफी बढ़ जाता है। इससे उन उद्योगों के संचालन पर एवं आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। राज्य सरकार इस प्रकार के बहुस्तरीय कर भार को कम करने के लिए सेट-आफ आदि जैसे प्रावधानों की उपादेयता पर विचार कर उचित निर्णय लेगी।

189. वर्क्स कान्ट्रैक्ट्स (Works Contracts) के संबंध में सिविल वर्क्स ठेकेदार को कर निर्धारण की परेशानी से बचाने के लिए यह प्रावधान किया हुआ है कि यदि वह 1 % छूट शुल्क जमा करवा देता है तो उसका असेसमेंट नहीं किया जावेगा। अब हम इस प्रणाली को उन वर्क्स कान्ट्रैक्ट्स पर भी लागू करने जा रहे हैं जो प्लान्ट एवं मशीनरी के संबंध में हों। ऐसे कान्ट्रैक्ट्स में यदि 4% छूट शुल्क जमा करवाया जाता है तो उन्हें असेसमेंट प्रक्रिया से मुक्त रखा जावेगा।

190. इस भाषण के प्रथम भाग में ऊर्जा के विकास को पर्याप्त महत्व दिया गया है जिसमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास पर भी जोर दिया गया है। परम्परागत ऊर्जा की बचत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा तथा वायु ऊर्जा पर आधारित वाटर पम्पिंग सैट व उसके सामान व पुर्जों तथा सौर ऊर्जा पर आधारित रोशनी उपकरणों व उनके सामान तथा पुर्जों को वर्तमान में देय 10% के बिक्री कर से मुक्त किया जाता है।

191. अभी डीजल इंजन व वाटर पम्प के सेट को एक साथ खरीदने पर 2.5% बिक्री कर देना पड़ता है और उन्हें अलग-अलग खरीदने पर 10% बिक्री कर देना

पड़ता है। सिंचाई में काम आने वाले 10 हार्स पावर तक के डीजल इंजनों एवं वाटर पम्पों पर बिक्री कर 10% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

192. राज्य सरकार जीवन बचाने वाली अधिकांश दवाइयों पर पहले ही कर से छूट प्रदान कर चुकी है। अब गुर्दा प्रत्यारोपण व कैंसर के मरीजों के जीवन के लिये आवश्यक दवाइयों को मानवीय आधार पर कर से मुक्त किया जा रहा है।

193. बच्चों के काम में आने वाली कुछ वस्तुओं पर भी मैंने छूट देने का निर्णय किया है। पोस्टर कलर, ड्राईंग मैटिरियल, सभी प्रकार के पैन व उसके पुर्जे जो आज तक कर से मुक्त नहीं थे उन्हें कर से मुक्त किया जा रहा है। प्लास्टिक से बने टिफिन बाक्स तथा पेन्सिल बोक्स भी बिक्री कर से मुक्त किए जा रहे हैं। वर्तमान में इन सभी वस्तुओं पर 10% कर देय है। खेल के सामान पर 1991-92 के बजट में कर की दर 10% से घटाकर 6% की गई थी। उसे अब और कम करते हुए 2.5% किया जा रहा है। आतिशबाजी पर बिक्री कर की दर 6% से घटाकर 4% की जा रही है।

194. वर्ष 1991-92 के बजट में मैंने कागज पर कर की दर 10% से घटाकर 6% की थी। अब कागज पर कर और कम करते हुए सभी प्रकार के कागज पर बिक्री कर 6% से घटाकर 4% रखने का निर्णय लिया गया है।

195. जहां कर कानून को सरल बनाने के उपाय किए जा रहे हैं वही कुछ प्रक्रियात्मक सुधार भी किये गए हैं।

195.1 छोटे करदाताओं, जिनका वार्षिक कर दायित्व 10,000 रु. से कम हो उनके लिये वर्ष 1992-93 में मेरी पूर्व सरकार द्वारा एक स्वकर निर्धारण योजना प्रारंभ की गई थी जिसमें उन्हें 10% वार्षिक वृद्धि देने पर कर निर्धारण की सभी कठिनाईयों से मुक्त किया गया था। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इस बीच वर्ष 1991-92 तक के करीब सभी कर निर्धारण इस योजना के तहत बिना करदाताओं को वाणिज्यिक कर विभाग में बुलाये पूर्ण किए जा चुके हैं। इस योजना में जो कमियाँ सामने आई हैं उन्हें हम विभिन्न वर्गों से विचार विमर्श कर दूर करने का प्रयास करेंगे।

सरकार सम्पूर्ण व्यापारिक व औद्योगिक वर्ग पर विश्वास के साथ एक नई योजना शुरू करना चाहती हैं जिससे उनका दायित्व बोध जागृत हो और वह सरकार की अपेक्षानुसार आगे आकर कर दायित्व का निर्वहन करें। इस योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक कर विभाग और व्यवसायी के बीच एक करार किया जाएगा जिसमें यह प्रावधान होगा कि अगले वित्तीय वर्ष में व्यवसायी द्वारा एक निश्चित कर राशि जमा कराने पर वह कर निर्धारण व निरीक्षण की प्रणाली व अन्य असुविधाओं से मुक्त हो जायेगा। इस प्रकार निर्धारित की जाने वाली कर राशि गत वर्ष में उस व्यवसायी द्वारा जमा कराये गये कर पर वृद्धि देते हुए निर्धारित की जायेगी। यह योजना भिन्न-भिन्न उद्योगों और वस्तुओं के लिये पृथक-पृथक लागू होगी जिसकी रूपरेखा संबंधित औद्योगिक एवं व्यावसायिक संगठनों से विचार विमर्श करके तैयार की जायेगी। इस योजना को प्रशमन प्रणाली की ग्रीन चैनल (**Green channel of compounded levy**) कहा जायेगा तथा इसे किसी भी व्यापारी व उद्यमी द्वारा हिसाब किताब की जांच पर आधारित वर्तमान में चालू विस्तृत कर निर्धारण प्रक्रिया के विकल्प के रूप में स्वैच्छा से अपनाया जा सकेगा। इस व्यवस्था को प्रारम्भ करते हुए ईट-भट्टों के लिए यह योजना अगले वित्तीय वर्ष से लागू की जा रही है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

जो ईट-भट्टे 3 वर्ष या उससे अधिक समय से चल रहे हैं उनके पिछले 3 वर्षों के बिक्री-कर की औसत राशि में 10% वृद्धि कर अगले 2 वर्षों के लिये कर दायित्व निर्धारित कर दिया जाएगा।

जो ईट-भट्टे केवल 2 वर्ष से चल रहे हैं उनके पिछले 2 वर्षों के अधिकतम बिक्री कर पर 10% वृद्धि कर आगामी 2 वर्षों का कर दायित्व निर्धारित कर दिया जावेगा।

इस प्रकार अग्रिम रूप से निर्धारित की गई कर राशि मासिक किश्तों में प्रत्येक माह की 7 तारीख तक जमा कराने की अपेक्षा होगी। अगर वार्षिक कर वर्ष के प्रारंभ में ही जमा करा दिया जाता है तो इस रकम पर व्यवसायी को कुछ छूट भी दी जाएगी।

उपरोक्तानुसार कर जमा कराने पर संबंधित व्यवसायी का कोई कर निर्धारण नहीं किया जाएगा और उसका पूरा कर - दायित्व चुका हुआ माना जायेगा।

स्थानीय ईट-भट्टों को संरक्षण देने के लिये ईट और केलू को **Casual commodity** घोषित किया जा रहा है, जिससे राज्य के बाहर से आने वाले ईट व केलू पर कर वसूल किया जा सकेगा और स्थानीय ईट भट्टों को बढ़ावा मिलेगा। शीघ्र ही इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित तेल - कौलहुओं पर भी लागू करने पर विचार किया जावेगा।

195.3 अन्तर्राज्यीय व्यापार में आ रही कठिनाईयों को दूर करने के लिये यह निर्णय लिया गया है कि जिन वस्तुओं पर राजस्थान बिक्री- कर की दर 4% है उन सभी वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय विक्रय में परिपत्र-सी की शर्त को हटा दिया जाये। इससे अन्तर्राज्यीय व्यापार में वृद्धि होगी।

196. कर दरों के स्लेब्स की संख्या वर्ष 1992-93 के बजट में 16 से घटाकर 14 की गई थी। अब इस संख्या को 14 से कम करके 10 किया जा रहा है। इस परिवर्तन से दरों का सरलीकरण होगा और उनकी जटिलता कम हो सकेगी। इस प्रक्रिया में कुछ वस्तुओं पर कर की दरें कम हो जाएंगी यथा ट्रेक्टर और ट्रैली के टायर - टयूब, सेफटी रेजर ब्लेड, फोटो फिल्मस व रसायन, पी.वी.सी. और एच.डी.पी.ई. पाईप्स आदि। साथ ही कुछ वस्तुओं की दरों में मामूली वृद्धि होगी जैसे कि बुलियन, विदेशी मदिरा, डी-नेचर्ड स्प्रिट आदि।

197. इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 10%, 12% और 15% की तीन दरें लागू हैं जिससे इन वस्तुओं के व्यापार में असमंजस की स्थिति बनी रहती है और कर चोरी को भी बढ़ावा मिलता है। अतः विलासिता की वस्तुओं जैसे कि एयर कंडीशनर आदि को छोड़कर, जिन पर 15% कर यथावत रहेगा, शेष अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे वायरलैस, ट्रांसमिटिंग इस्टुमेंट्स आदि पर बिक्री कर की दर 10% लागू करने का निर्णय लिया गया है। रूम कूलर पर भी 12% के बजाय 10% कर देय होगा।

198. होटलों और रेस्टोरेन्टों आदि की 2 लाख रु. तक की वार्षिक बिक्री कर मुक्त है परन्तु 2 लाख से ऊपर होते ही पूरी बिक्री, जिसमें पहले 2 लाख की बिक्री

भी शामिल कर ली जाती है, पर कर आरोपित किया जाता है। इस समस्या के निराकरण के लिए यह निर्णय लिया गया है कि पहले 2 लाख रुपये तक की बिक्री पर छूट प्रत्येक मामले में दी जाएगी और 2 लाख रु. से जितनी अधिक बिक्री होगी केवल उसी पर कर लगाया जायेगा।

199. राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 5ए को दिनांक 1-4-1990 को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया गया था। उस समय इस सदन में आश्वासन दिया गया था कि यदि इस भूतलक्षी संशोधन के कारण किन्हीं वस्तुओं पर कर का दोहरा भार पड़ेगा तो उसका यथोचित निराकरण किया जायेगा। इस परिप्रेक्ष्य में हाथ के औजार, संगमरमर तथा तूबा और मतीरा के बीजों के संबंध में आवश्यक छूट पहले दी जा चुकी है। अब धनिया, जीरा, मिर्च, अजवाइन आदि के विषय में भी दोहरे कर की समस्या सामने आई है। अतः 31-03-1990 तक क्रय किये गये सभी माल को क्रय-कर से मुक्त किया जा रहा है बशर्ते कि वह अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में बेचा गया हो और उस पर केन्द्रीय बिक्री कर चुका दिया गया हो।

विज्ञापन कर

- 200.1 राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 के तहत लागू विज्ञापन कर को समाप्त किया जा रहा है। इससे सिनेमा घरों को इस कर को लेकर आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी।

मनोरंजन कर

- 200.2 विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा संस्था के विकास के लिये धनराशि जुटाने हेतु मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के गैर सिनेमा मनोरंजन कार्यक्रमों को मनोरंजन कर व अतिरिक्त मनोरंजन कर से मुक्त किया जा रहा है। विभिन्न अन्य पंजीकृत संस्थाओं और ट्रस्टों द्वारा भी संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये धन एकत्रित करने हेतु मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए मनोरंजन कर और अतिरिक्त मनोरंजन कर 100% की दर से घटाकर 25% किया जाता है।

पंजीयन एवं मुद्रांक

201. मुद्रांक कानून व दस्तावेजों की पंजीयन प्रक्रिया में सुधार के दृष्टिकोण से सरकार ने वर्ष **1992** में विक्रय पत्र पर मुद्रांक कर की विभिन्न दरों के स्थान पर **10%** की समान दर लागू की थी। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की छवि में सुधार लाने के लिए आठ बड़े स्थानों पर पूर्णकालीन उप पंजीयक के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों को भी उप पंजीयक के अधिकार दिये गये थे। इन परिवर्तनों का अच्छा प्रभाव पड़ा है। परन्तु कुछ व्यावहारिक कठिनाईयां अभी भी महसूस की जा रही हैं, जिनके निराकरण के लिए कुछ रियायतें दी जा रही हैं।
- 201.1 बैंकों, सहकारी समितियों और वित्तीय संस्थाओं से अकृषि ऋण एवं आवासीय ऋण प्राप्त करने के लिए निष्पादित बंधक - पत्रों पर वर्तमान में देय मुद्रांक शुल्क जो कि **50,000** रु. तक **6%** एवं उससे अधिक पर **10%** है को घटाकर **1%** या **100** रुपये, जो भी अधिक हो, किया जा रहा है।
- 201.2 राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यासों व राज्य सरकार द्वारा निर्मित फ्लैट्स और भूकानों के हस्तान्तरण पर मुद्रांक शुल्क **10%** से घटाकर **6%** निर्धारित किया जा रहा है।
- 201.3 राज्य सरकार द्वारा हस्तान्तरित की जाने वाली अचल सम्पत्ति पर मुद्रांक शुल्क प्रचलित बाजार मूल्य की बजाय वास्तविक प्राप्त प्रतिफल पर देय होगा।

202. विक्रय दस्तावेजों पर देय पंजीयन शुल्क की वर्तमान दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए निम्नानुसार पुनर्निर्धारित किया जा रहा है:-

प्रचलित बाजार मूल्य	देय पंजीयन शुल्क
5,000 रुपये तक	100 रुपये
5,001 से 25,000 रुपये तक	250 रुपये
25,001 से 50,000 रुपये तक	500 रुपये
50,001 से 1 लाख रुपये तक	1,000 रुपये
1 लाख से ऊपर परन्तु 5 लाख रुपये तक	2,000 रुपये
5 लाख से ऊपर परन्तु 10 लाख रुपये तक	3,500 रुपये
10 लाख रुपये से ऊपर	5,000 रुपये

भूमि एवं भवन कर

203. भूमि एवं भवन कर वर्तमान में एक लाख रुपये के ऊपर के मूल्य की शहरी सम्पत्ति पर देय है। इस छूट सीमा को बढ़ाने के लिए कई ज्ञापन राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं। निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों को राहत देने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि एक लाख रुपये की वर्तमान छूट सीमा बढ़ा कर दो लाख रुपये कर दी जावे।

अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता

204. हमारी बढ़ी हुई वार्षिक योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना हम सब की जिम्मेवारी है ताकि प्रदेश के विकास की गति में रुकावट नहीं हों। साथ ही हम संसाधन जुटाते हुए राजस्थान के आम नागरिक के ऊपर अधिक बोझ नहीं डालना चाहते।

विद्युत शुल्क

- 204.1 विद्युत शुल्क की वर्तमान दरों में केवल दो पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि प्रस्तावित है जिससे हमें करीब 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हो सकेगी। परन्तु कृषि कनेक्शनों पर यह वृद्धि लागू नहीं होगी।

विलासिता कर

- 204.2 सिगरेट पीने का शौक अधिकतर समृद्ध और उच्च वर्गों में पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर होने के साथ-साथ विलासिता की वस्तु भी है। इस दृष्टि से इस पर कर लगाना उपयुक्त ही होगा। अतः सिगरेट पर 5% की दर से विलासिता कर लागू किया जाना प्रस्तावित है। बीड़ी को इस कर से मुक्त रखा गया है। इस कर को लागू करने के लिये एक विधेयक पृथक् से माननीय सदस्यों के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ इसी सत्र में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कर के लगने से राज्य को करीबन 5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।

राजस्व प्रबंधन में सुधार

205. राज्य सरकार के कर राजस्व विभागों की प्रशासनिक व्यवस्था और प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा की जा रही है। कर कानूनों और नीतियों में निरन्तर हो रहे परिवर्तनों की दृष्टि से विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। कर प्रशासन में निरन्तर सुधार व समय समय पर आने वाली कठिनाईयों के निवारण के लिए कर राजस्व विभागों का प्रशासनिक सुदृढीकरण किया जावेगा। करों की बेहतर वसूली हेतु कम्प्यूटराइजेशन भी शुरू किया जावेगा।
206. वर्ष 1992-93 के बजट भाषण में मैंने यह इंगित किया था कि राजस्व आय में उत्कृष्ट योगदान देने वाले ईमानदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रयास किया जाएगा। इसी सिलसिले में कर राजस्व विभागों से जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये एक प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की जा रही है। राजस्व के रिसाव को रोकने और संगठनात्मक मनोबल में वृद्धि करने के उद्देश्य से निष्ठा और लगन से कार्य करने वाले और राजस्व आय को बढ़ाने में योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित लक्ष्यों से अधिक आय प्राप्त होने पर नकद प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।
207. मेरे इस बजट भाषण से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि सरकार समाज के सभी वर्गों की कठिनाईयों और समस्याओं के प्रति पूरी तरह सजग और सचेष्ट

है। इन बजट प्रस्तावों में जहाँ एक ओर किसानों, ग्रामीणों, महिलाओं, उद्यमियों, कमजोर वर्ग तथा शहर में रहने वाले निम्न आय वर्ग के लोगों को करों से राहत दी गई है वहीं विलासिता की वस्तुओं पर नए कर लगा कर राज्य सरकार के राजस्व की पूर्ति का भी प्रयास किया गया है।

208. उपरोक्त बजट प्रस्तावों में दी गई कर रियायतों से राज्य सरकार को कुल मिलाकर लगभग **15 करोड़ रुपये** की राजस्व हानि होने का अनुमान है, जिसे ऊपर प्रस्तावित अतिरिक्त करों से पूरा कर लिया जाएगा।

209. जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ वर्ष **1992-93** के संशोधित अनुमानों के अनुसार **186 करोड़ 13 लाख** का बजटीय अधिव्यय अनुमानित था - जो वर्ष की समाप्ति पर **5 करोड़ 60 लाख** के घाटे में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार चालू वर्ष **1993-94** के प्रारंभ में ही **191 करोड़ 73 लाख रुपये** से संसाधनों में कमी हुई। चालू वर्ष में केन्द्र सरकार से करों व शुल्क में हिस्से की राशि **24 करोड़ 91 लाख** की कमी होने तथा योजनागत व्यय हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने में रही कमी के बावजूद चालू वर्ष का बजटीय घाटा **128 करोड़ 65 लाख रुपये** ही अनुमानित है। आगामी वर्ष **1994-95** का कुल बजटीय घाटा **206 करोड़ 31 लाख रुपये** अनुमानित है। विगत वर्ष **(1992-93)** **5 करोड़ 60 लाख** तथा चालू वर्ष के **128 करोड़ 65 लाख** के बजटीय घाटे को मिलाते हुए मार्च, **1995** के अन्त में **340 करोड़ 56 लाख रुपये** का कुल घाटा रहने का अनुमान है। फिलहाल मैं इस घाटे को अपूरित छोड़ रहा हूँ। परन्तु वर्ष के दौरान इसे अतिरिक्त संसाधन जुटा कर, राजस्व की बेहतर वसूली एवं मितव्ययिता के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। आयोजना व्यय में कमी नहीं हो इसके लिए प्रत्येक विभाग के क्रिया कलापों का पुनरावलोकन कर उनको चालू रखने की आवश्यकता का आकलन करना तथा अनुत्पादक व्यय पर अकुंश लगाना भी प्रस्तावित है। राज्य सरकार बकाया राजस्व, दिए गए ऋणों व ब्याज की वसूली का विशेष प्रयास करेगी। वर्ष के शुरु में ही विभाग-वार बकाया राशि का आकलन किया जाकर उसकी वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाये जाएंगे।

210. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मैं **1994-95** का बजट सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।